इस्लामी शरीअत की विशेषताएं

(60 विशेषताएं)

संकलनः

शैख़ माजिद बिन सुलैमान अल-रस्सी

ज़िलहिज्जा – 1443 हिज्री

अनुवादः

साबिर हुसैन पुत्र मुहम्मद मुजीबुर रहमान

الترجمة الهندية لكتاب: خصائص الشريعة الإسلامية وقيمها الحضارية (٦٠ خصيصة)

لفضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي.

इस्लामी शरीअत की विशेषताएं[1]
आमुख

إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مسْلِمُون).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما)

प्रशंसा के पश्चात!

सबसे सत्य बात अल्लाह की पुस्तक है, सर्वोत्तम मार्ग मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मार्ग है, दुष्टतम चीज़ (धर्म में) आविष्कार की हुई बिद्अत (नवाचार) है, दीन -ए-इस्लाम में अविष्कृत प्रत्येक नई चीज़ बिद्अत है, प्रत्येक बिद्अत पथभ्रष्टता है तथा प्रत्येक पथभ्रष्टता नरक में ले जाने वाली है।

आदरणीय पाठक! अल्लाह तआला ने एक महान उद्देश्य के अंतर्गत शरीअतों (धार्मिक विधानों) का निर्माण किया है, तथा वह यह है कि लोगों को लोक परलोक के कल्याण की ओर मार्गदर्शित किया जाये, क्योंकि मानव बुद्धि स्वयं ऐसे नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकती जो लोगों को सीधे मार्ग की ओर मार्गदर्शित कर सकें, बल्कि यह उस अल्लाह की विशेषताओं में से है जो अपनी विशेषताओं में पूर्ण, अपने कार्यों, कथनों एवं भाग्य निर्माण में

---

[1] मैंने इस पुस्तिक के लेखन में मूल रूप से शैख़ उमर सुलैमान अल-अशक़र की पुस्तिक ''मक़ासिद अल-शरीअह अल-इस्लामिय्यह'' पर भरोसा किया है, किंतु उसमें अल्लाह की कृपा व अनुग्रह से कुछ वृद्धि भी की है।

ह़कीम (तत्वदर्शी), अपने मख़्लूक़ (सृष्टि) के हित-अहित से अवगत एवं उनपर दयालु व कृपालु है, जबकि मानव का ज्ञान अति अल्प है।

धार्मिक दृष्टिकोण से यह बात निश्चित रूप से ज्ञात है कि आकाशीय धर्म (शरीअतें) अल्लाह की ओर से अवतरित हैं, अल्लाह तआला ने प्रत्येक शरीअत में उनकी भाषा बोलने वाला एक रसूल भेजा ताकि वह उन्हें ऐसी शरीअत पहुँचाए जो उनके लिए उचित व मुनासिब हो, अल्लाह ने उन्हें बिना किसी शरीअत के यों ही बेकार नहीं छोड़ा, अल्लाह का कथन हैः وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۟ अनुवादः (तथा प्रत्येक जाति के लिए मार्गदर्शक है)। सूरह रअदः 7।

एक स्थान पर फ़रमायाः لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ अनुवादः (हम ने तुम में से प्रत्येक के लिए एक धर्म विधान तथा एक कार्य प्रणाली बना दिया था)। सूरह माइदाः 48।

मनुष्यों को यह आदेश दिया गया है कि वे उन पैग़बंरों (ईश दूतों) का अनुसरण करें जिन्हें अल्लाह ने उनकी ओर भेजा, अल्लाह का फ़रमान हैः وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ अनुवादः (और हमने जो भी रसूल भेजा वह इसलिए ताकि अल्लाह की अनुमति से उसकी आज्ञा का पालन किया जाये)। सूरह निसाः 64।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने जो आदेश एवं नियम अवतरित किए उनमें महानतम तौरात, इंजील एवं क़ुरआन हैं, अतः बनी इस्राईल से यह वचन लिया गया कि वे अपनी शरीअतों की रक्षा करें, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, बल्कि उनमें तह़रीफ़ (हेर-फेर) की ओर उन्हें नष्ट कर दिया, किंतु क़ुरआन की रक्षा का दायित्व अल्लाह ने अपने ऊपर लिया, अल्लाह का कथन हैः اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ अनुवादः (वास्तव में हमने ही यह शिक्षा (क़ुरआन) उतारी है, तथा हम ही इसके रक्षक हैं)। सूरह ह़िज्रः 9।

बंदों पर यह अल्लाह की कृपा ही है कि उसने उनके लिए एक ऐसी शरीअत सुरक्षित रखी जिसके आलोक में वे क़यामत तक अल्लाह की उपासना करते रहेंगे।

समस्त शरीअतें एक अल्लाह की पूजा करने एवं शिर्क (बहुदेववाद) से दूर रहने की दावत देती हैं, अल्लाह का कथन हैः وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ۝

अनुवादः (और नहीं भेजा हमने आप से पहले कोई भी रसूल परंतु उसकी ओर यही वह्य (प्रकाशना) करते रहे कि मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है, अतः मेरी ही इबादत (वंदना) करो। सूरह अंबियाः 25 ।

अल्लाह तआला ने फ़रमायाः وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ
अनुवादः (और हमने प्रत्येक समुदाय में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत (वंदना) करो, और ताग़ूत (असुर, अल्लाह के सिवा पूज्यों) से बचो)। सूरह नह्लः 36 ।

शरीअतें आंशिक विष्यों में एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु मूल सिद्धांतों में एक दूसरे से सहमत हैं, तथा वे सिद्धांत ये हैं: अल्लाह, उसके फ़रिश्ते (देवदूत), उसकी पुस्तकें, उसके रसूलों, क़यामत के दिन एवं भाग्य के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाना।

अल्लाह की शरीअतें जिन चीज़ों में एक दूसरे से सहमत हैं उनमें ये भी हैं: धर्म, सम्मान, जान, धन एवं बुद्धि की रक्षा करना।

समस्त पिछली शरीअतें या तो नष्ट हो गईं या उनमें बदलाव और हेर-फेर कर दिया गया, जैसाकि हम देखते और जानते हैं, किंतु अल्लाह ने अपने बंदों पर दया करते हुए इस्लामी शरीअत की सुरक्षा की, क्योंकि यह सबसे अंतिम शरीअत है, इसके बाद कोई शरीअत नहीं आने वाली, अल्लाह तआला ने इस शरीअत (धर्म) के दस्तूर (विधि) अर्थात क़ुरआन -ए-करीम की सुरक्षा की, क्योंकि इस के पश्चात कोई आकाशीय पुस्तक नहीं आने वाली, इसी प्रकार से अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत को नष्ट होने से सुरक्षित रखा क्योंकि आप के बाद कोई अनुकरणीय नबी नहीं आने वाला।

उपरोक्त प्रस्तावना के उल्लेख के पश्चात, आप जान लें कि इस पुस्तक में इस्लामी शरीअत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जिनकी संख्या साठ (से अधिक) है, मैंने इन विशेषताओं को आठ श्रेणियों में विभाजित किया है जोकि निम्न हैं:

1- शरीअत की वो विशेषताएं जिसका संबंध इसकी शिक्षाओं से है।

2- शरीअत की वो विशेषताएं जो मनुष्य के कल्याण और आत्माओं के सुधार से संबंधित हैं।

3- शरीअत की वो विशेषताएं जिनका संबंध उन लोगों से है जो इसके अनुयायी नहीं हैं।

4- शरीअत की वो विशेषताएं जो व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित हैं।

5- शरीअत की वो विशेषताएं जिनका संबंध शरीअत की सुरक्षा व हिफ़ाज़त तथा संग्रह और संकलन से है।

6- शरीअत की वो विशेषताएं जिनका संबंध शक्ति व प्रभुत्व तथा सम्मान एवं गरिमा से है।

7- शरीअत की वो विशेषताएं जिनका संबंध शांति व सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से है।

8- शरीअत की वो विशेषताएं जो गैर-इंसानों से संबंधित हैं - फ़रिश्ते, जिन्न और मवेशी।

इन विशेषताओं को लिखने के निम्नलिखित पाँच उद्देश्य हैं:

1- मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं में अपने धर्म के प्रति आस्था और विश्वास स्थापित करना।

2- धर्मनिरपेक्षता का पर्दाफाश करना, जो इस्लाम सहित, सभी धर्मों को जीवन के समस्त पहलुओं से अलग करने पर आधारित है।

3- इस्लामी शिक्षाओं की सुंदरता और अच्छाइयों तथा इसकी महान विशेषताओं पर प्रकाश डालकर यहूदियों, ईसाइयों और नास्तिकों को इस्लाम धर्म के प्रति आश्वस्त करना तथा इसका प्रशंसक बनाना।

4- अल्लाह के संरक्षित धर्म इस्लाम, और अन्य विकृत व बदल दिए गए धर्मों साथ ही मानव निर्मित कानूनों के बीच, अंतर को स्पष्ट करना।

5- इस्लाम धर्म के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं पर प्रकाश डालना।

अंतिम बात यह कि इस्लामी शरीअत की विशेषताओं को समझने के लिए यह एक उपयोगी आमुख है। जो व्यक्ति इस आमुख को समझ ले, उसके लिए अल्लाह की उस हिकमत

(तत्वदर्शिता) को समझना आसान हो जायेगा जिसके अंतर्गत अल्लाह तआला ने शरीअतें नाज़िल फ़रमाई हैं। अल्लाह तआला दरूद व सलाम अवतरित करे हमारे नबी मुहम्मद पर तथा आपके परिवार वालों पर।

❊ ❊ ❊

इस्लामी शरीअत की उत्कृष्ट विशेषताएं

अल्लाह तआला ने अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा पैग़ंबरों की श्रृंखला को, क़ुरआन -ए- मजीद के द्वारा किताबों की श्रृंखला को तथा इस्लामी शरीअत के द्वारा अन्य शरीअतों की श्रृंखला को समाप्त किया। अल्लाह तआला ने इस्लामी शरीअत को बहुतेरी उत्कृष्ट विशेषताओं से विशेषित किया है, निम्न में अल्लाह की कृपा से उन विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा रहा हैः

शरीअत की वो विशेषताएं जिनका संबंध इसकी शिक्षाओं से है।

1- पहली विशेषता यह है कि इस्लाम एक **इलाही एवं रब्बानी शरीअत (ईश्वरीय तथा पालनहार की ओर से अवतरित धर्म)** है, जबकि इसके सिवा जितनी भी शरीअतें और जीवन शैली आज प्रचलित हैं, वे उन असली एवं अविकृत शरीअतों के विकृत रूप हैं जो तौहीद (एकेश्वरवाद) की ओर दावत देती है। ईसाई धर्म में विकार आ गया जिसके कारण वे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को अपना पूज्य समझने लगे तथा स़लीब (क्रॉस) की पूजा करने लगे, यहूदी कुछ नुबुव्वतों का इन्कार करने लगे और ओज़ैर की पूजा करने लगे। ये समस्त शरीअतें मनुष्य निर्मित हैं जिनके अंदर मूर्ति पूजा पाई जाती है।

रही बात हिन्दु धर्म एवं बोद्ध धर्म की तो उनके अनुयायी पत्थरों की पूजा करते हैं, राफ़ज़ी क़ब्रों की पूजा करते हैं, उनका इस्लाम से दूर का भी संबंध नहीं, यद्यपि वे स्वंय को मुसलमान कहते हैं, परंतु एतबार वास्तविकता का होता है नामों का नहीं।

2- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **इसके अह़काम (आदेश) रब्बानी ह़िकमतों (ईश्वरीय तत्वदर्शिता) पर आधारित हैं**, चाहे उन अह़काम का संबंध इबादात (वंदना) से हो अथवा मामलात (व्यवहार) से, या फिर हुदूद और क़िस़ास़ (किसी विशेष जुर्म के लिए निर्धारित विशेष दण्ड) से, एवं चाहे हम उन ह़िकमतों (तत्वज्ञान) से अवगत हों अथवा

नहीं, वह (अल्लाह) अपने कथन व कर्म में ह़कीम व तत्वदर्शी है, तथा शरीअत व भाग्य के निर्धारण में ह़कीम और सभी चीज़ों से अवगत है।[1]

यहां यह उल्लेख करना रोचक होगा कि अल्लाह तआला ने पवित्र क़ुरआन में 91 स्थानों पर खुद को ह़कीम (तत्वदर्शी) बताया है।

इब्नुल क़य्यिम रह़िमहुल्लाह इस्लामी शिक्षाओं की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं:

"शरीअत की बुनियाद ह़िकमतों पर तथा इस लोक में भी और परलोक में भी बंदों के लाभों पर आधारित है। संपूर्ण शरीअत न्याय और निष्पक्षता, दया, लाभ और ह़िकमत (तत्वज्ञान) पर आधारित है, अतः हर वह मसला जो न्याय से अन्याय की ओर, दया से निर्दयता की ओर, हित से अहित की ओर, तथा ह़िकमत से अभद्रता की ओर निकल जाये वह शरीअत का भाग नहीं है, क्योंकि शरीअत अल्लाह के बंदों के मध्य न्याय, उसकी मख़लूक़ (सृष्टि) के दरमियान दया का कारण है, उसकी धरती पर उसकी छाया है, तथा ऐसी ह़िकमत है जो उस (के अस्तित्व) की एवं उसके रसूल की प्रामाणिकता और सच्चाई की सबसे संपूर्ण एवं स्पष्ट दलील है, शरीअत अल्लाह का ऐसा नूर (प्रकाश) है जिससे देखने वालों को रोशनी मिली, यह अल्लाह का ऐसा मार्गदर्शन है जिसके द्वारा मार्गदर्शन के इच्छुकों ने मार्गदर्शन प्राप्त किया, उसका ऐसा पूर्ण उपचार है जिससे हर रोगी का रोग दूर हो सकता है, उसका मार्ग ऐसा सीधा है कि जो उस पर दृढ़ता के साथ जमा रहा वह सीधे मार्ग पर अडिग रहा, शरीअत आँखों के लिए ठंडक, हृदयों के लिए जीवन तथा आत्माओं के लिए स्वाद के समान है, इसी से जीवन, भोजन, दवा, प्रकाश, निरोग, सुरक्षा एवं शांति प्राप्त होती है, जो भी अच्छाई है वह इसी शरीअत का फल और परिणाम है, और जो भी कमी और दोष पाया जाता है वह शरीअत की अवहेलना और उपेक्षा करने के कारण है। यदि शरीअत के निशान न बचते तो संसार समाप्त हो जाता तथा ब्रह्मांड को भस्म कर

---

[1] अधिक लाभ के लिए देखें: इब्नुल क़य्यिम रह़िमहुल्लाह की किताब "असरार अल-शरीअह मिन एअलाम अल-मुवक़्क़िईन", संकलन व संग्रहनः मुसाइद बिन अब्दुल्लाह अल-सलमान, प्रकाशकः दार अल-मसीर – रियाज़, तथा "मक़ासिद अल-शरीअह इन्द अल-अल्लामा अब्दुर्रह़मान बिन नासिर अल-सअदी" लेखकः डॉक्टर जमील यूसुफ ज़रेवा, प्रकाशकः दार अल-तौह़ीद -रियाज़।

दिया जाता। शरीअत ही लोगों की सुरक्षा का माध्यम एवं ब्रह्मांड के सुचार रूप से काम करने का कारण है, इसी के द्वारा अल्लाह तआला ने आकाश एवं धरा को स्थापित रखा है, जब अल्लाह तआला संसार को नष्ट एवं ब्रह्मांड को भस्म करना चाहेगा तो शरीअत की बची निशानियों एवं अवशेषों को अपनी ओर उठा लेगा, ज्ञात हुआ कि जिस शरीअत के साथ अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा वह ब्रह्मांड के बाकी रहने का मूल स्तंभ एवं लोक परलोक की सौभाग्यशालिता का आधार है"। [1]

3- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह त्रुटियों से पाक है**, अल्लाह तआला का कथन है: لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ अनुवाद: (नहीं आ सकता झूठ इसके आगे से और न इसके पीछे से, उतरा है प्रशंसित (अल्लाह) की ओर से)। सूरह फ़ुस्सिलत: 42 ।

एक स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا अनुवाद: (आपके पालनहार की बात सत्य तथा न्याय की है)। सूरह अनआम: 115 ।

अत: क़ुरआन अपनी सूचनाओं में प्रमाणिक व सच्चा तथा अपने आदेशों में न्यायप्रिय है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ है: (...सर्वोत्तम बात अल्लाह की पुस्तक है तथा सर्वोत्तम मार्ग मुह़म्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मार्ग है)।[2]

4- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह तह़रीफ़ (हेर-फेर) एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन से सुरक्षित है**, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस्लाम धर्म में बिद्अत ईजाद करने से मना करते हुए फ़रमाया: "नई-नई बिद्अतों तथा नवाचारों से अपने आप को बचाए रखना, नि:संदेह (धर्म में) प्रत्येक नई बात बिद्अत है तथा हर बिद्अत गुमराही है"।[3] इस्लाम के इमामों तथा धार्मिक विद्वानों ने प्रत्येक युग में ह़दीस़ की पुस्तकों को ज़ईफ़

---

[1] एअलाम अल-मुवक़्क़िईन (4/ 337-338), अन्वेषण: मश्हूर बिन सलमान, प्रकाशक: दार इब्नुल जौज़ी – दम्माम, थोड़े से हेर-फेर के साथ।

[2] इसे मुस्लिम (867) ने रिवायत किया है।

[3] इसे मुस्लिम (867) ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

(प्रमाणिकता के दृष्टिकोण से कमज़ोर ह़दीस़) एवं मौज़ूअ (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से संबद्ध झूठी एवं मनगढ़ंत ह़दीस़) से पाक रखने के लिए बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं।

5- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **इसकी शिक्षाएं दिन के उजाले के समान बिल्कुल स्पष्ट हैं**, अस्पष्टता एवं सूक्ष्मता, गोपनीयता एवं रहस्यों तथा उलझावों और जटिलता से बिल्कुल पाक हैं, जबकि मानवीय शिक्षाओं में अनिवार्य रूप से ये त्रुटियां मौजूद रहती हैं, यही कारण है कि शरीअत की शिक्षाओं को छोटा, बड़ा, छात्र एवं आम जन सभी समझ सकते हैं। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने पवित्र क़ुरआन में बीस से अधिक स्थानों पर अपनी किताब की यह विशेषता बताई है कि वह स्पष्ट एवं उज्ज्वल है, इसी प्रकार से दस से अधिक स्थानों पर अपने नबी की यह विशेषता बताई है कि वह स्पष्ट करने वाले (रसूल) हैं। समस्त प्रकार की प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं इस बात पर कि उसका धर्म अत्यंत स्पष्ट है तथा लोगों के लिए इसका सीखना अति सरल है।

6- इस्लामी शरीअत की विशेषताओं में से एक इसकी शिक्षाओं की उत्कृष्टता और सुंदरता है, अतः यह हर वह कार्य करने को आमंत्रित करती है जिसकी उत्कृष्टता एवं सुंदरता अविकृत बुद्धि एवं स्वाभाविक नैसर्गिकता से पता चलती है, तथा हर उस कार्य से रोकती है जिसकी कुरूपता एवं बुराई अविकृत बुद्धि एवं स्वाभाविक नैसर्गिकता से ज्ञात होती है, अल्लाह तआला का कथन है: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ अनुवादः (और अल्लाह से अच्छा निर्णय किसका हो सकता है, उनके लिए जो विश्वास रखते हैं?)। सूरह माइदाः 50।

एक स्थान पर अल्लाह तआला का कथन है:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠

अनुवादः (वस्तुतः अल्लाह तुम्हें न्याय तथा उपकार और समीपवर्तियों को देने का आदेश दे रहा है, तथा निर्लज्जता और बुराई एवं विद्रोह से रोक रहा है, और तुम्हें सिखा रहा है ताकि तुम शिक्षा ग्रहण करो)। सूरह नह़्लः 90।

शैख़ अब्दुर्रहमान बिन सअदी रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं: "शरीअत की शिक्षाएं: अच्छे कर्म, शिष्टाचार एवं बंदों के हित (का ध्यान रखने) का आदेश देती हैं, न्याय व इंसाफ़, उपकार, दयालुता एवं भलाई व अच्छाई पर उभारती हैं, अन्याय व अत्याचार तथा अशिष्टता से रोकती हैं, इसलिए पूर्णता के हर वो गुण जिन्हें पैग़ंबरों ने मान्य घोषित किया था उन्हें इस्लामी शरीअत ने भी मान्य घोषित किया, और हर वो धार्मिक और सांसारिक हित जिसकी दावत पिछली शरीअतों ने दी थी, इस्लामी शरीअत ने भी इसके लिए प्रोत्साहित किया, और हर बुराई, भ्रष्टाचार तथा उपद्रव से रोका एवं उससे दूर रहने की सलाह दी"।[1]

7- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि यह एक **सीधा एवं सच्चा धर्म** है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन हैः "अल्लाह को वह धर्म सर्वाधिक पसंद है जो **सीधा एवं सच्चा** हो"।[2] क्रय-विक्रय के समय इस्लाम ने सच्चाई एवं ईमानदारी अपनाने का आदेश दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस़ हैः "सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ऐसे व्यक्ति पर दया करे जो बेचते एवं ख़रीदते समय तथा तकाज़ा (तगादा) करते समय उदारता एवं नम्रता धारण करता है"।[3] अर्थात वह अपने ऋण का तगादा करते समय निर्धनों एवं कमज़ोरों के संग कठोर व्यवहार नहीं करता बल्कि नम्रता एवं शिष्टता के साथ अपना पैसा मांगता है, तथा निर्धनों को मोहलत देता है, अल्लाह तआला का कथन हैः

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

अनुवादः (और तुम्हारा ऋणी यदि असुविधा में हो तो उसे सुविधा तक अवसर दो, और अगर क्षमा कर दो -अर्थात दान कर दो- तो यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है, यदि तुम समझो तो)। सूरह बक़रहः 280।

---

[1] थोड़ी सी तब्दीली के साथ (अल-दुर्रह अल-मुख़्तसरह फ़ी महासिन अल-दीन अल-इस्लामी) से उद्धृत, पृष्ठ संख्याः 51, प्रकाशकः दार अल-आसिमा – रियाज़।

[2] इसे बुख़ारी ने किताबुल ईमान, बाबः अद्दीनु युसरुन, में तअलीक़न (सनद की पूरी श्रृंखला का उल्लेख किए बिना) रिवायत किया है, अहमद ने अपनी मुस्नद (5/ 266) में अबू उमामह रज़ियल्लाहु अन्हु से इन शब्दों के साथ रिवायत किया हैः "मैं सीधे तथा सच्चे धर्म के साथ भेजा गया हूँ"।

[3] इसे बुख़ारी (2076) ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

यह इस्लाम की नम्रता का ही प्रमाण है कि उसने बुराई का बदला अच्छाई से देने को प्रेरित किया है, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ अनुवादः (आप दूर करें -बुराई को- उसके द्वारा जो सर्वोत्तम हो)। सूरह फ़ुस्सिलतः 34।

इसी तरह इस्लाम ने क्रोध को पी जाने तथा क्षमा करने का भी आदेश दिया हैः

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

अनुवादः (तथा क्रोध को पी जाते और लोगों के दोष क्षमा कर दिया करते हैं)। सूरह आले इमरानः 134।

इस्लाम धर्म की नम्रता का एक पहलू यह भी है कि उसने ईमान वालों के साथ दयालुता एवं विनम्रता अपनाने को प्रोत्साहित किया हैः وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢١٥ अनुवादः (और झुका दें अपना बाहु उसके लिए जो आप का अनुयायी हो ईमान वालों में से)। सूरह शुअराः 215।

अल्लाह तआला ने मोमिनों के सद्गुणों का उल्लेख करते हुए फ़रमायाः أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ अनुवादः (वो ईमान वालों के लिए कोमल होंगे)। सूरह माइदाः 54।

8- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **यह परिपूर्ण है तथा जीवन के सभी मामलों को शामिल है, चाहे वह आस्था की बात हो या पूजा की, चाहे वह मामलों की बात हो या राजनीति की, चाहे वह न्याया एवं निर्णय का मामला हो या नैतिकता और व्यवहार का** (यह सभी को अपने अंदर समोए हुए है)।

- अतः **अक़ीदा** (आस्था) के विषय में अक़ीदा के नियमों एवं सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है, जोकि ये हैं: अल्लाह, उसके फ़रिश्ते, उसकी किताबों, उसके रसूलों, आख़िरत (पुरुत्थान) के दिन एवं तक़दीर (भाग्य) के अच्छे व बुरे होने पर ईमान लाना।

इसके अतिरिक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाने के तकाज़ों को भी बयान करती है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तक़ाज़ा आपकी पुष्टि करना एवं आपका अनुसरण करना है।

- **इबादत (वंदना)** के अध्याय में इस्लामी शिक्षाएं, हार्दिक एवं शारीरिक अंगों से संबंधित वंदनाओं की अत्यंत सूक्ष्म बारीकियों को सम्मितलित हैं।
  हार्दिक वंदनाओं से अभिप्राय हैं: स़ब्र व धैर्य, भय व ख़ौफ़, आशा व उम्मीद, तवक्कुल व भरोसा, तौबा (पश्चाताप) व अल्लाह की ओर झुकना तथा प्रेम करना इत्यादि।
  जबकि शारीरिक अंगों वाली वंदनाओं में: पवित्रता व स्वच्छता, नमाज़, ज़कात (दान), रोज़ा, ह़ज्ज, ज़िक्र व जाप, जिहाद एवं अल्लाह की ओर दावत देना शामिल हैं।
- **मामलों (व्यवहार**) के अध्याय में इस्लामी शिक्षाएं, मामलों की अत्यंत सूक्ष्म विवरण को भी अपने अंदर समोए हुए हैं, उदाहरणतः क्रय-विक्रय करना, किराया पर कोई वस्तु देना, किसी को अपना वकील एवं प्रतिनिधि नियुक्त करना, ऋण की पुष्टि करना, विवाह व त़लाक़ एवं कृषि इत्यादि से संबंधित आदेश।
- **राजनीति** के अध्याय में इस्लामी शिक्षाएं, शासक और शासित के बीच परस्पर संबंधों के विवरण को शामिल हैं, जैसेः बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा), सुनना एवं आज्ञाकारिता करना, उपदेश, प्रार्थना, एकता एवं आपसी भाईचारा और करुणा, इसी प्रकार से शांति और युद्ध की स्थिति में गैर-मुस्लिमों के साथ संबंधों का विवरण भी इस्लाम में मौजूद है, इस्लाम शासक को न्याय एवं निष्पक्षता बनाए रखने, कलेमा -ए- इलाही (ईश्वरीय शब्द एवं धर्म) के उत्थान के लिए लड़ने, इस्लामी देशों की रक्षा करने और पाँच बुनियादी आवश्यकताओं की रक्षा करने का आदेश देता है, अर्थात: धर्म, बुद्धि, जान, धन एवं सम्मान (प्रतिष्ठा)।

- **न्याया एवं निर्णय** के विषय में इस्लामी शिक्षाएं, दण्ड के नियम, हुदूद व क़िसास[1], दियत एवं ताज़ीरात (दण्ड) को शामिल हैं, ताकि अधिकारों की सुरक्षा हो सके, कानून और शांति व्यवस्था बहाल की जा सके और दंगाइयों को दंगा करने से रोका जा सके।
- **नैतिकता और व्यवहार** के विषय में इस्लामी शिक्षाएं, पारिवारिक, वैवाहिक, सामाजिक और शैक्षिक संबंधों के बारीक विवरण को उजागर करती हैं, तथा शिष्टाचार व सद्व्यवहार से अलंकृत होने को प्रोत्साहित करती हैं, जिनमें शीर्ष पर हैं: माता-पिता की आज्ञाकारिता करना, संबंधों को जोड़ना, ज़ुबान की शुद्धता, दृष्टि नीची रखना, गुप्तांगों की सुरक्षा, हिजाब का पालन एवं सतीत्व की रक्षा करना। इसके अतिरिक्त इस्लामी शरीअत दुष्ट व्यवहार एवं दुर्गुणों से रोकती है, भाईचारे और एकता को प्रोत्साहित करती है, मतभेद और गुट बंदी से रोकती है, और लोगों को एक उम्मत के रूप में एकजुट हो कर रहने को प्रेरित करती है।

इसी पूर्णता एवं समावेशिता के कारण इस्लाम धर्म एक सम्पूर्ण धर्म है, अल्लाह तआला ने सच कहा है:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

अनुवादः (मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म परिपूर्ण कर दिया है, तथा तुम पर अपना पुरस्कार पूरा दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को धर्म स्वरूप स्वीकार कर लिया)। सूरह माइदाः 3 ।

---

[1] हुदूद से अभिप्राय शरीअत की ओर से निर्धारित वह निश्चित दण्ड है जो कोई विशेष जुर्म करने पर दिया जाता है, जैसे चोरी की सजा के तौर पर हाथ काटा जाना। और क़िसास से अभिप्राय यह है कि अपराधी को वैसा ही दण्ड देना जैसा उसने जुर्म किया था, जैसे उसने किसी को घायल किया था तो बदले में उसे भी घायल किया जायेगा या उसने किसी को जान से मार दिया तो बदले में वह भी मारा जायेगा (अथवा उसकी तुलना में एक निश्चित राशि ले कर उसे छोड़ देना और इसी को दियत कहते हैं)। (अनुवादक)।

तथा सम्मानित रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ हैः “प्रत्येक वह चीज़ जो स्वर्ग से निकट एवं नरक से दूर करती है, उसे तुम्हारे समक्ष स्पष्ट कर दिया गया”।[1]

अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं किः “हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस स्थिति में छोड़ा कि कोई पक्षी जो आकाश में उड़ता है हमारे पास उसका भी ज्ञान होता है”।[2]

9- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि वह **वैश्विक एवं सार्वभौमिक धर्म** है, जो सभी लोगों के लिए उपयुक्त तथा हर प्रकार के लिए लोगों के लिए उचित है, अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फ़रमायाः

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

अनुवादः (-हे नबी! आप कह दीजिये कि, हे मानव जाति के लोगो! मैं तुम सभी की ओर अल्लाह का रसूल हूँ)। सूरह आराफ़ः 158।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन हैः “(पहले) नबी अपने विशेष समुदाय की ओर भेजे जाते थे परंतु मुझे समस्त लोगों की ओर भेजा गया है”।[3]

10- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि यह **प्रत्येक युग तथा स्थान के लिए उपयुक्त** है, अतः इसकी एक भी शिक्षा मानव सभ्यता के विकास एवं प्रगति के विरुद्ध नहीं है। आठ शताब्दियों तक इस्लामी सभ्यता पूरी दुनिया पर हावी रही, जबकि बाद की सभ्यताओं की अभी नींव भी नहीं पड़ी थी, सच कहा है सर्वोच्च अल्लाह नेः

---

[1] इसे त़बरानी ने “अल-मुअजम अल-कबीर” (147) में अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, अलबानी ने “अल-सिलसिला अल-स़ह़ीह़ह” (1803) में कहा है किः इसकी सनद स़ह़ीह़ और इसके सभी रिजाल (वाचक) स़िक़ात (सच्चे व तीव्र स्मरण शक्ति वाले) हैं।

[2] इसे इब्ने ह़िब्बान ने अपनी “स़ह़ीह़” (1/ 267) में और त़बरानी ने “अल-मुअजम अल-कबीर” (1647) में रिवायत किया है, और अलबानी ने “अल-सिलसिला अल-स़ह़ीह़ह” (118) में तथा श़ुऐब अल-अरनऊत़ ने इसे स़ह़ीह़ कहा है। (अल्लाह दोनों पर दया करे)।

[3] इसे बुख़ारी (335) और मुस्लिम (521) ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾

अनुवादः (क्या वही नहीं जानेगा जिसने उत्पन्न किया? सूक्ष्मदर्शक सर्व सूचित है)। सूरह मुल्कः 14।

11- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि वह **मानवीय स्वभाव के अनुकूल** है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा यह आत्मा और शरीर दोनों की जरूरतों को पूरा करती है, अल्लाह तआला का कथन हैः

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

अनुवादः (तो -हे नबी!- आप सीधा रखें अपना मुख इस धर्म की दिशा में एक ओर हो कर उस स्वभाव पर पैदा किया है अल्लाह ने मनुष्यों को जिस पर बदलना नहीं है अल्लाह के धर्म को, यही स्वाभाविक धर्म है किंतु अधिकतर लोग नहीं जानते)। सूरह रूमः 30।

एक और स्पष्टीकरण यह है कि इस्लामी शरीअत की शिक्षाओं में आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि शरीअत विभिन्न प्रकार की हार्दिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक उपासनाओं के द्वारा आत्मा को शुद्ध व स्वच्छ करने का आह्वान करती है, जैसे तवक्कुल (भरोसा), ख़ौफ़ (भय), उम्मीद व रजा (आशा), नमाज़, रोज़ा, ह़ज्ज, अल्लाह का ज़िक्र (जाप), ख़ैर व भलाई के कार्यों में धन खर्च करना तथा इन जैसी अन्य उपसानाएं जो ईमान की शाखाओं में समाहित हैं और जिनकी संख्या सत्तर से अधिक है। मानव निर्मित जीवन शैली के विपरीत, जैसे भौतिकवादी धर्मनिरपेक्षता जो आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरी तरह से नकार कर मनुष्य को एक मात्र भौतिकवादी प्राणी बनने के लिए आमंत्रित करती है, जो केवल अपनी भौतिक आवश्यकता के बारे में ही सोचे, भले ही इसके कारण उसे अपने माता-पिता और परिवार के लोगों से अलग ही क्यों न रहना पड़े, यही कारण है कि सेक्युलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता के अनुयायियों के बीच पारिवारिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई तथा पुरुष और महिला के बीच का संबंध केवल दोस्ती तक ही सीमित हो कर रह गया।

भौतिकवादी धर्मनिरपेक्षता के विपरीत सन्यासी जीवन एवं विरक्ती अपनाने वाला तरीका यह है कि शारीरिक आवश्यकताओं की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाए, इसी कारणवश वह अपने अनुयायियों को विवाह से दूर रहने के लिए कहता है, और अल्लाह तआला के द्वारा वैध की गई कुछ पवित्र चीज़ों को भी अवैध ठहराता है, जैसाकि गिरजाघर के सन्यासियों के यहाँ इसका पालन किया जाता है।

जहां तक इस्लाम का संबंध है तो यह मनुष्य की आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और उनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आमंत्रित करता है, इसलिए यह भौतिकवाद में पूर्णतः लिप्त हो जाने और (इसके ठीक विपरीत) वैराग्य एवं कठोरता (तशद्दुद) अपनाने से रोकता है, तथा धरती पर परिश्रम करने एवं उसके विकास व उत्थान में भाग लेने का आदेश देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एक स़हाबी अपने आपको हर समय केवल अल्लाह की उपासना में ही लीन रखना चाहते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमायाः "**तुम्हारे शरीर का भी तुम्हारे ऊपर अधिकार है**"।[1] जब कुछ स़हाबा -ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा किः वो मांस नहीं खाएंगे, किसी ने कहाः मैं महिलाओं से विवाह नहीं करूँगा, तीसरे ने कहाः मैं सदा रोज़ा (उपवास) रखूँगा तथा रोज़ा रखना नहीं छोड़ूँगा, चौथे ने कहाः मैं रातों को नमाज़ें ही पढ़ूँगा तथा आराम नहीं करूँगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन सभों से फ़रमायाः "**मैं मांस भी खाता हूँ, महिलाओं से विवाह भी करता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ तथा ऐसा भी होता है कि मैं रोज़ा नहीं रखता और मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ तथा विश्राम भी करता हूँ, जिसने मेरी सुन्नत से विमुखता प्रकट की वह मुझ में से नहीं**"।[2]

12- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **वह अति एवं न्यून के मध्य एक संतुलित धर्म है**, अल्लाह तआला का कथन हैः

---

[1] इसे अह़मद (6/ 268) आदि ने आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णन किया है, तथा "मुस्नद अह़मद" के अन्वेषकों ने इस ह़दीस़ को ह़सन कहा है। यह ह़दीस़ संक्षिप्त रूप में बुख़ारी एवं मुस्लिम में अबू जुहैफ़ा और अन्य स़हाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से वर्णित है।

[2] इसे बुख़ारी (5063) और इसी तरह मुस्लिम (1401) ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन किया है।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

अनुवादः (तथा इसी प्रकार से हमने तुम्हें मध्यवर्ती उम्मत (समुदाय) बना दिया, ताकि तुम सब पर साक्षी बनो, और रसूल तुम पर साक्षी बनें)। सूरह बक़रहः 143 ।

अतः इस्लामी शिक्षाएं आस्था, वंदना, मामला करने, नैतिकता तथा व्यवहार के विषय में संतुलित एवं सटीक हैं, वो अतिश्योक्ति तथा अनुचित कठोरता, इसी प्रकार लापरवाही एवं कोताही से रोकती हैं, और उस संतुलित मार्ग पर चलने का आदेश देती हैं जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट किया है।

13- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह सही व अविकृत बुद्धि के अनुकूल है**, यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं, (क्योंकि इस्लाम का आधार सही व लाभदायक आस्था, आत्मा एवं बुद्धि को उज्जवल करने वाले सुन्दर व्यवहार, स्थितियों को सुधारने वाले कार्य, सिद्धांतों और उप-वर्गों में तर्कों का पालन, मूर्तिपूजा से दूर रहने, प्राणी चाहे पुरुष हो या महिला उनसे अनासक्त (निर्लिप्त) रहने, धर्म को केवल अल्लाह के लिए विशेष करने एवं उन अंधविश्वासों व निराधार बातों से दूर रहने पर है जो चेतना एवं बुद्धि के विरुद्ध एवं विचार को आश्चर्यचकित करने वाली हैं। इस्लाम धर्म का का आधार पूर्णतया शुचिता, हर प्रकार की दुष्टता को दूर करने, न्याय और निष्पक्षता स्थापित करने, तथा हर संभव रूप से क्रूरता को दूर करने एवं पूर्णता के विभिन्न प्रकारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करने पर है)।[1]

(अल्लाह एवं उसके रसूलों की बातों में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो चेतना, वास्तविक स्थिति एवं अविकृत बुद्धि के विरुद्ध हो, और न ही अल्लाह व उसके रसूल के आदेशों में ऐसी कोई चीज़ है जो मसलहत एवं बंदों के हित के विरुद्ध हो, बल्कि यही आदेश एवं फ़रमान उनके अनुयायियों को पूर्णता के उच्चतम स्तर तक पहुँचाते हैं और कमी एवं हानि का सामना उस

---

[1] यह इब्ने सअदी रहिमहुल्लाह का कथन है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक "अल-दुर्रह अल-मुख़्तसरह फ़ी महासिन अल-दीन अल-इस्लामी" (पृष्ठः 44-45) में किया है। प्रकाशकः दार अल-आसिमह – रियाज़। तथा यहाँ थोड़े हेर-फेर के साथ उसको उद्धृत किया गया।

स्थिति में करना पड़ता है कि जब उन समस्त या उनमें से कुछ के पालन की उपेक्षा की जाती है)।[1]

14- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह उपकार (एहसान) करने को प्रोत्साहित करती है**, इसीलिए अल्लाह तआला ने इस्लाम के प्रत्येक आदेश में एहसान को वाजिब (अनिवार्य) करार दिया है, यहाँ तक कि ज़ब्ह करते समय भी, यही कारण है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हलाल करते समय एहसान का ध्यान रखने हेतु फ़रमायाः "सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हर चीज़ में एहसान (अच्छा व्यवहार करने) को फ़र्ज़ किया है, अतः जब तुम वध करो तो अच्छी तरह करो[2] और जब ज़ब्ह करो तो अच्छे ढ़ंग से करो, तथा जब तुम ज़ब्ह करने का इरादा करो तो अपनी छुरी तेज़ कर लिया करो और ज़बीह़ा (वधित पशु) को (ज़ब्ह करते समय) आराम पहुँचाओ"।[3]

इस्लामी शरीअत में उपकार का एक उदाहरण यह भी है कि यह जानवरों पर दया करने को प्रोत्साहित करता है, चुनाँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह सूचना दी कि एक महिला क़यामत (महा प्रलय) के दिन नरक में केवल इसलिए जायेगी कि उसने एक बिल्ली को बांध रखा था, न तो उसे भोजन दिया एवं न ही उसे स्वतंत्र छोड़ा ताकि वह धरती के कीड़े-मकोड़ों को खा कर अपना पेट भरे।[4]

मख़्लूक़ अर्थात सृष्टि के प्रति दया की उच्चतम श्रेणी यह है कि अपने माता-पिता के संग उत्तम व्यवहार किया जाये, इस्लामी शरीअत ने क़ुरआन -ए- करीम में छह स्थानों पर इसका आदेश दिया है, तथा इसके विपरीत (माता-पिता की अवज्ञा) से रोका है, उदाहरणस्वरूप आप

---

(1) यह इब्ने सअदी रह़िमहुल्लाह का कथन है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक "अल-दलाइल अल-क़ुरआनिय्यह फ़ी अन्ना अल-उलूम व अल-आमाल अल-नाफ़िअह अल-अस़रीय्यह दाख़िलतुन फ़ी अल-दीन अल-इस्लामी" में किया है। तथा यहाँ थोड़े हेर-फेर के साथ उसको उद्धृत किया गया है।

(2) अर्थात जो शरई आधार पर क़त्ल के योग्य हो, उसे क़त्ल करो, जैसे क़ातिल एवं उपद्रवी इत्यादि, और इसका कार्यान्वयन अपने समय के अमीर (शासक) के द्वारा होगा।

(3) इसे मुस्लिम (1955) ने शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

(4) इसे बुख़ारी (745) एवं मुस्लिम (2242) ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

अल्लाह तआला का यह कथन देखें: وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
अनुवादः (और तेरे पालनहार ने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत (वंदना) न करो, तथा माता-पिता के संग उपकार करो)। सूरह बनी इस्राईलः 23।

अल्लाह तआला ने आम लोगों के संग भी वार्तालाप में विनम्र स्वर धारण करने का आदेश दिया है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन हैः وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
अनुवादः (और लोगों से भली बात बोलोगे तथा नमाज़ की स्थापना करोगे)। सूरह बक़रहः 83।

बल्कि इस्लाम ने उस बंदी के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया है जो मुसलमानों से युद्ध कर रहा था किंतु उनके हाथों क़ैद हो गया, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا۝۸

अनुवादः (तथा अल्लाह के प्रेम में भोजन कराते हैं निर्धन, अनाथ एवं क़ैदियों को)। सूरह इंसान (दह्र): 8।

15- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि वह **ख़ैर व भलाई (परोपकार) एवं सुधार का आदेश देती है तथा उपद्रव एवं दंगा-फ़साद से रोकती है**, अल्लाह तआला का कथन हैः

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ

अनुवादः (सदाचार तथा संयम में एक दूसरे की सहायत करो तथा पाप और अत्याचार में एक दूसरे की सहायता न करो)। सूरह माइदाः 2।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन हैः "न हानि पहुँचाना है और न हानि उठाना है"।[1] इसके अतिरिक्त आपका एक कथन यों हैः "तुम में से जो कोई बुरी बात देखे तो चाहिए

---

[1] इसे अह़मद (1/ 313) इत्यादि ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है, तथा "मुस्नद अह़मद" के अन्वेष्कों ने इसे ह़सन करार दिया है, ह़दीस़ संख्याः (2865)।

कि उसे अपने हाथ के द्वारा दूर करे, यदि इसमें असमर्थ हो तो अपनी ज़ुबान से और यदि इसमें भी असमर्थ हो तो अपने दिल में उसे बुरा समझे, और यह ईमान की सबसे कमतर श्रेणी है"।[1]

16- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि वह **प्रत्येक शुद्ध एवं पवित्र वस्तु को वैध (ह़लाल) तथा हर अशुद्ध एवं अपवित्र वस्तु को अवैध (ह़राम) करार देती है**, अल्लाह तआला ने अपनी नबी के गुणों का उल्लेख करते हुए फ़रमायाः

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

अनुवादः (वह पवित्र वस्तुओं को ह़लाल बताते हैं तथा अपवित्र वस्तुओं को उन पर ह़राम करते हैं)। सूरह आराफ़ः 157।

17- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह आसानी पैदा करती है तथा कठिनाई को दूर करती है**, अल्लाह तआला का कथन हैः

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

अनुवादः (अल्लाह तआला का इरादा तुम्हारे संग आसानी का है, कठिनाई का नहीं)। सूरह बक़रहः 185।

एक स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता हैः فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ अनुवादः (जहाँ तक संभव हो तुम अल्लाह से डरते रहो)। सूरह तग़ाबुनः 16।

इसके अतिरिक्त एक जगह अल्लाह तआला ने फ़रमायाः لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا अनुवादः (अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से अधिक कष्ट नहीं देता)। सूरह बक़रहः 286।

[1] इसे मुस्लिम (49) ने रिवायत किया है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन हैः "...जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का आदेश दूँ तो यथासंभव उसका पालन करो"।[1]

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने स़हाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फ़रमायाः "तुम लोग आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, तुम्हें कठोरता करने के लिए नहीं भेजा गया"।[2]

अल्लाह तआला की ओर से मिलने वाली इस आसानी से अल्लाह की स़िफ़त -ए- रह़मत (दया की विशेषता) का इशारा मिलता है जिससे अल्लाह तआला ने क़ुरआन -ए- मजीद की बहुतेरी आयतों में अपनी ज़ात को विशेषित किया है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का फ़रमान हैः إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا अनुवादः (निःसंदेह अल्लाह तआला तुम पर अत्यंत दयालु है)। सूरह निसाः 29 ।

इस्लामी शरीअत में आसानी एवं सरलता का एक उदाहरण यह है कि ह़दस़ -ए- अस़ग़र एवं ह़दस़ -ए- अकबर (बड़ी अपवित्रता तथा छोटी अपवित्रता) को दूर करने के लिए पानी की अनुपस्थिति में तयम्मुम की व्यवस्था की गई है। अल्लाह तआला का कथन हैः

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون

अनुवादः (और यदि जनाबत (अपवित्रता) की स्थिति में हो तो (स्नान कर के) पवित्र हो जाओ, तथा यदि रोगी अथवा यात्रा में हो या तुम में से कोई शौच से आए अथवा तुम ने स्त्रियों का स्पर्श किया हो और तुम जल न पाओ तो शुद्ध धूल से तयम्मुम कर लो, और उस से अपने मुखों तथा हाथों का मसह कर लो (पोंछ लो), अल्लाह तुम्हारे लिए कोई संकीर्णता (तंगी) नहीं

---

[1] इसे बुख़ारी (7288) एवं मुस्लिम (1337) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[2] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (220) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

चाहता, परंतु तुम्हें पवित्र करना चाहता है, और ताकि तुम पर अपना पुरस्कार पूरा कर दे, और ताकि तुम कृतज्ञ बनो)। सूरह माइदाः 6।

इस्लामी शरीअत में पाई जाने वाली आसानी एवं सहजता का एक उदाहरण यह भी है कि निद्रा की स्थिति में इंसान से नमाज़ जैसी वाजिब चीज़ में यदि कोताही हो जाये तो उसकी पूछ-ताछ नहीं होगी, बशर्ते कि वह सउद्देश्य और जानबूझकर ऐसा न करे, इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह ह़दीस़ हैः "तीन प्रकार के आदमियों से क़लम उठा लिया गया हैः सोए हुए से यहाँ तक कि जाग जाए, बच्चे से यहाँ तक कि व्यस्क हो जाये तथा पागल से यहाँ तक कि उसकी बुद्धि लौट आए"।[1]

नमाज़ में आसानी की एक मिसाल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमायाः "खड़े हो कर नमाज़ पढ़ो, यदि इसका सामर्थ्य न हो तो बैठ कर पढ़ो, और यदि इसकी भी क्षमता न हो तो पहलू के बल लेट कर नमाज़ पढ़ो"।[2]

इस्लामी शरीअत में पाई जाने वाली सहजता का एक उदाहरण यह है कि यात्री के लिए नमाज़ को क़स्र (छोटा) कर के पढ़ना तथा दो वक़्त की नमाज़ों को एक साथ जमा कर के एक नमाज़ के समय में पढ़ना जायज़ (वैध) है, क्योंकि यात्री यदि हर नमाज़ के समय उसको मुकम्मल पढ़ने के लिए ठहरता रहेगा तो उसकी यात्रा में विघ्न उत्पन्न होगा।

इस्लामी शरीअत में पाई जाने वाली आसानी एवं सहजता का एक उदाहरण यह भी है कि वर्षा, कीचड़ तथा अत्यंत ठंडी हवा चलने की स्थिति में विभिन्न नमाज़ों को एक साथ संग्रहित कर के पढ़ना जायज़ है।[3]

रोज़ा में आसानी का उदाहरण यह है कि इस्लामी शरीअत ने गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिला को रोज़ा न रखने की अनुमति दी है, बशर्ते कि उनको अपनी जान का अथवा अपने बच्चों की जान को हानि पहुँचने की आशंका हो, इसका तर्क अनस रज़ियल्लाहु अन्हु

---

[1] इस ह़दीस़ को अबू दावूद (4403) एवं तिर्मिज़ी (1423) ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[2] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (1117) ने रिवायत किया है।

[3] देखें: स़ह़ीह़ मुस्लिम (705)। यह ह़दीस़ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है।

की यह ह़दीस़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "अल्लाह तआला ने यात्री से आधी नमाज़ एवं रोज़ा को क्षमा कर दिया है, तथा गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिला से भी रोज़ा को माफ़ कर दिया है"।[1]

इस्लामी शरीअत में पाई जाने वाली सहजता और आसानी की एक मिसाल यह भी है कि रोगी एवं यात्री के लिए वैध है कि वह रोज़ा तोड़ लें तथा रमज़ान के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें, अल्लाह तआला फ़रमाता हैः

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

अनुवादः (यदि तुम में से कोई रोगी हो अथवा यात्रा पर हो, तो उसे दूसरे दिनों से गिनती पूरी करनी चाहिए)। सूरह बक़रहः 185।

ह़ज्ज में पाई जाने वाली सहजता का उदाहरण यह है कि अल्लाह तआला ने उस व्यक्ति पर ह़ज्ज को अनिवार्य नहीं किया है जो इसकी क्षमता नहीं रखता हो, अर्थात उसके पास भौतिक शक्ति या सवारी की सुविधा नहीं हो, या शारीरिक रूप से असमर्थ हो या इनमें से कोई एक भी उपलब्ध नहीं हो, अल्लाह तआला का कथन हैः

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

अनुवादः (तथा अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का ह़ज्ज अनिवार्य है, जो उस तक राह पा सकते हों)। सूरह आले इमरानः 97।

ह़ज्ज में आसानी का एक उदाहरण यह भी है कि जो व्यक्ति व्योवृद्ध होने अथवा दुर्बलता के कारण ह़ज्ज करने में सक्षम न हो तो उसके लिए जायज़ (वैध) है कि अपनी ओर से ह़ज्ज करने के लिए किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दे, इसकी दलील इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की यह रिवायत है किः (एक महिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास उपस्थित हुई और पूछी किः हे अल्लाह के रसूल! सर्वोच्च अल्लाह की ओर से

---

[1] इस ह़दीस़ को अबू दावूद (2408) एवं नसई (2274) ने रिवायत किया है तथा अल्लामा अलबानी ने इसे ह़सन करार दिया है।

निर्धारित ह़ज्ज ने मेरे पिता का इस स्थिति में पाया है कि वह व्योवृद्ध हो चुके हैं तथा सवारी पर बैठने में असमर्थ हैं, यदि मैं उनकी ओर से ह़ज्ज करूँ तो अदा हो जायेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "हाँ")।[1]

जिहाद में सरलता की एक मिसाल यह है कि अल्लाह तआला ने अंधे, अपंग एवं रोगी व्यक्ति से जिहाद की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने क़ुरआन -ए- मजीद की दो आयतों में कहा हैः

لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

अनुवादः (नहीं है अंधे पर कोई दोष, और न लंगड़े पर कोई दोष, और न रोगी पर कोई दोष)। सूरह नूरः 61, सूरह फ़त्ह़ः 17।

खाद्य पदार्थ से संबंधित आसानी एवं सरलता का एक उदाहरण यह है कि यदि कोई व्यक्ति भूख की तीव्रता से कमजोरी महसूस करने लगे और निषिद्ध भोजन जैसे कि मरे हुए जानवर या सूअर के अलावा कुछ भी उपलब्ध न हो, तो इस वर्जित भोजन में से उसके लिए उतना खाना जायज़ है जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए और स्वयं को मृत्यु से बचा सके, क्योंकि मृत्यु का नुकसान वर्जित भोजन के नुकसान से बहुत अधिक है।

पेय के संबंध में आसानी एवं सहजता का एक उदाहरण यह है कि इंसान प्यास के कारण यदि मरणासन्न स्थिति में पहुँच जाए और वर्जित पेय जैसे शराब या ख़ून के अलावा उसके पास और कुछ न हो तो उसके लिए उसमें से उतना पीना जायज़ है जिससे उसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाए तथा वह मृत्यु से बच जाए, क्योंकि मृत्यु की हानि अल्लाह द्वारा वर्जित किए गए पेय के सेवन से अधिक हानिकारक है।

18 – इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह दिलों में ईमान की स्थापना की व्यवस्था करती है तथा ऐसे सभी कार्यों से रोकती है जो ईमान की नींव एवं पूर्णता के विरुद्ध हैं**, वह इस प्रकार से कि क़ुरआन इस बात पर ज़ोर देता है कि अल्लाह के नामों और

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (1855) और मुस्लिम (1335) ने रिवायत किया है, तथा उपरोक्त शब्द बुख़ारी के हैं।

विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया जाए, जैसा कि क़ुरआन की आयतों के अंतिम भागों से स्पष्ट है, इसी तरह वह दृढ़ता से फ़रिश्तों, किताबों, रसूलों (दूतों), अंतिम दिन और अच्छे व बुरे भाग्य पर विश्वास रखने के लिए आमंत्रित करता है, इसके अतिरिक्त स़हाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सच्चे एवं निष्ठावान होने की आस्था रखने का भी आदेश देता है, अल्लाह के साथ शिर्क (बहुदेववादिता) से रोकता है, बिद्आत (नवाचार) एवं हर प्रकार के कबीरा व सग़ीरा गुनाह (महा पाप एवं अल्प पाप) में पड़ने से रोकता है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वह संसार में अपनी अंतिम सांस तक तौह़ीद (एकेश्वरवाद) पर डटे रहें, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: "जिसकी अंतिम बात "ला इलाहा इल्लल्लाह" हो उसके लिए जन्नत अनिवार्य है"।[1]

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे समस्त कार्यों से रोका है जो तौह़ीद के विरुद्ध अर्थात शिर्क तक पहुँचाने के माध्यम हैं, बल्कि मरणासन्न स्थिति में भी, जोकि व्यक्ति के लिए सबसे कठिन समय होता है, आपने इससे रोका है, इसी स्थिति में आपने क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ने से रोका है, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि: "अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उस बीमारी में जिससे आप निरोग न हो सके थे, फ़रमाया: अल्लाह का धिक्कार हो यहूदी एवं नस़ारा पर, उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को पूजा स्थल बना लिया"।[2] इसकी वर्जना (ह़ुर्मत) का कारण यह है कि क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ना क़ब्रों की पूजा में लिप्त होने का एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि (इसके कारण) क़ब्र में दफ़न मृत व्यक्ति से नमाज़ पढ़ने वाले का हृदय जुड़ जाता है।

---

[1] इस ह़दीस़ को अह़मद (5/ 233) ने रिवायत किया है, और "मुस्नद" (22034) के अन्वेषकों ने इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

[2] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (1330) व मुस्लिम (529) ने रिवायत किया है, तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बिद्अत अंजाम देने से रोका है, अतः आप का कथन हैः "नवीन-नवीन बिद्अतों के आविष्कार से अपने आप को बचाए रखना, निःसंदेह हर नई बात बिद्अत है और हर बिद्अत गुमराही (पथभ्रष्टता) है"।[1]

अल्लाह तआला ने कबीरा गुनाहों (महा पापों) को अंजाम देने से मना करते हुए फ़रमायाः

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

अनुवादः (तथा यदि तुम उन महा पापों से बचते रहे जिन से तुम्हें रोका जा रहा है तो हम तुम्हारे लिए तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे, और तुम्हें सम्मानित स्थान में प्रवेश देंगे)। सूरह निसाः 31।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सग़ीरा गुनाहों (छोटे पापों) से भी रोका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "सग़ीरा गुनाहों से बचो (तथा उन्हें तुच्छ न समझो, तनिक विचार करो कि) कुछ लोग एक वादी में पड़ाव डालते हैं, एक आदमी एक लकड़ी लाता है तथा दूसरा एक लाता है (एक-एक कर के इतनी लकड़ियां संग्रहित हो जाती हैं कि) वह आग जला कर रोटियां पका लेते हैं, इसी प्रकार से यदि सग़ीरा गुनाहों की पूछ-ताछ हो गई तो वो भी नाश कर सकते हैं"।[2]

19- इस्लामी शरीअत की विशेषता यह भी है कि **इसकी भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं**, अतः भविष्य की हर वह बात जिसकी सूचना इस्लामी शरीअत ने दी है, वो या तो घटित हो चुकी हैं या निश्चित रूप से घट कर रहेंगी, इस का एक उदाहरण यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नजाशी की मृत्यु की सूचना उसी दिन दी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी जबकि नजाशी ह़ब्शा (सूडान) में थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

---

[1] इस ह़दीस़ को अबू दावूद (4607), तिर्मिज़ी (2676), इब्ने माजह (42), अह़मद (4/ 126-127) एवं इब्ने ह़िब्बान (1/ 179) ने रिवायत किया है, तथा उपरोक्त शब्द इब्ने ह़िब्बान द्वारा वर्णित है एवं अलबानी ने इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

[2] इस ह़दीस़ को अह़मद (3871) ने रिवायत किया है, तथा "मुस्नद" (37/ 467) के अन्वेषकों ने इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

मदीना में, इसके पश्चात आप ने उनकी ग़ायबाना (अर्थात उनकी अनुपस्थिति में) जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी।[1]

स़ह़ीह़ बुख़ारी में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मूतह युद्ध के लिए एक सेना भेजी, उनका सेनापति ज़ैद बिन ह़ारिस़ह रज़ियल्लाहु अन्हु को नियुक्त किया तथा उन्हें यह वस़ीयत की कि यदि ज़ैद शहीद हो जाएं तो जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु उनके सेनापति होंगे, यदि जाफ़र भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाह़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके सेनापति होंगे, इसी बीच कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम स़ह़ाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के संग मदीना में थे कि आप ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद हो जाने की सूचना दी, फिर जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद होने तत्पश्चात इब्ने रवाह़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के शहीद हो जाने की सूचना दी, जबकि आप मदीना में ही थे।[2]

बद्र युद्ध से पूर्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब बद्र नामक स्थान पर ठहरे तो आप ने मुश्रिकों के कुछ सरदारों के क़त्ल होने का निश्चित स्थान स़ह़ाबा को दिखलाया। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु उमर बिन ख़त़्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि: "अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन पूर्व हमें बद्र (में वधित होने) वालों के गिरने का स्थान दिखा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कह रहे थे: यदि अल्लाह ने चाहा (इन शा अल्लाह)! कल अमूक व्यक्ति के वधित होने का स्थान यह होगा, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा: उस ज़ात की क़सम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ह़क़ (सत्य) के साथ भेजा! वो लोग उन स्थानों से थोड़े से भी इधर-उधर क़त्ल नहीं हुए थे जिनका निर्धारण अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया था"।[3]

20- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **यह मिथकों और निराधार बातों को खारिज करती है और उनकी निरर्थकता को स्पष्ट करती है**, उन्हीं मिथकों में से जादू भी है,

---

[1] देखें: स़ह़ीह़ बुख़ारी (1245) व मुस्लिम (951), यह ह़दीस़ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है।

[2] इसे बुख़ारी (1246) ने रिवायत किया है।

[3] इसे मुस्लिम (2873) ने रिवायत किया है।

जिसके माध्यम से जादूगर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शैतानों की मदद लेता है, तथा शैतान उस समय तक उस की मदद नहीं करता है जब तक कि वह उसकी पूजा न करे।

इस्लाम ने जिन अंधविश्वासों से मना किया है, उनमें ज्योतिष्य भी है, इससे अभिप्राय ग़ैब (अदृश्य) जानने का दावा करना तथा (सामने वाले के) दिल की बात जानने का दावा करना है, ये दोनों -जादू तथा ज्योतिष्य- पूर्णतः वर्जित हैं, बल्कि इनको अंजाम देना नवाक़िज़ -ए- इस्लाम (इस्लाम से निष्कासित करने वाले कार्यों) में से है, क्योंकि ग़ैब (परोक्ष) का ज्ञान केवल अल्लाह ही को है, इसलिए कि वह अल्लाह की विशेषताओं में से है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन हैः

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

अनुवादः (आप कह दें कि नहीं जानता है जो आकाशों तथा धरती में है परोक्ष को अल्लाह के सिवा)। सूरह नम्लः 65 ।

अतः जिसने ग़ैब जानने का दावा किया, उसने ग़ैब जानने की अल्लाह जो विशेषता है उसमें अल्लाह का साझीदार होने का दावा किया और क़ुरआन को झुठलाया।

21- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **इसमें पिछली सभी शरीअतों के सद्गुणों को शामिल किया गया है और इस को उन दण्डों तथा बोझों से रहित रखा गया है जो पिछली शरीअतों के अनुयायियों पर उनकी अवज्ञा के कारण दण्ड स्वरूप निर्धारित किया गया था**, सर्वोच्च अल्लाह ने अपने नबी की सिफ़त बयान करते हुए फ़रमायाः

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

अनुवादः (और उन से उन के बोझ उतार देंगे तथा उन बंधनों को खोल देंगे जिन में वे जकड़े हुए होंगे)। सूरह आराफ़ः 157 ।

अर्थातः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह गुण है कि आप का लाया हुआ धर्म आसान एवं सहज है, इसमें न भारी भरकम कष्ट है और न बोझल करने वाली तक्लीफ़।

22- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह अपने से पूर्व की शरीअतों को मंसूख़ (रद्द) करने वाली है**, अल्लाह तआला फ़रमाता हैः

وَ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الۡكِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ الۡكِتٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِ

अनुवादः (और (हे नबी!) हमने आप की ओर सत्य पर आधारित पुस्तक (क़ुरआन) उतार दी, जो अपने पूर्व की पुस्तकों को सच बताने वाली तथा संरक्षक है)। सूरह माइदाः 48।

❊ ❊ ❊

शरीअत की वो विशेषताएं जो मनुष्य के कल्याण और आत्माओं के सुधार से संबंधित हैं:

23- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह विभिन्न प्रकार के शिष्टाचार, उच्च आचरण एवं सद्गुणों को अपनाने का आह्वान करती है**, अतः इसने खान-पान, लिबास-पोशाक, शादी-विवाह, यात्रा-पड़ाव, उपकार करने वालों एवं दुर्व्यवहार करने वालों के साथ, संबंधियों, अजनबियों, पड़ोसियों और दूर के परिचितों, शासकों और प्रजा, अधिकारियों, पदाधिकारियों तथा ओहदेदारों के संग, पत्नियों और बच्चों तथा जीवित और मृत लोगों के प्रति व्यवहार के शिष्टाचार सिखाए, (मृत के प्रति सदव्यवहार से अभिप्राय है, उसको) स्नाना कराना, इत्र लगाना, कफ़न पहनाना, दफ़न करना तथा उसके लिए दुआ करना। इसी प्रकार से शत्रुओं और मित्रों के संग तथा युद्ध और सुलह की स्थिति में शत्रुता रखने वालों से व्यवहार करने के तरीके भी बताए गए हैं।

संक्षेप में कहें तो आचार-व्यवहार से संबंधित जो भी शिष्टाचार हो सकते हैं, इस्लाम ने हमें उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया है, साथ ही उनके लिए पुरस्कार एवं पुण्य भी निर्धारित किए हैं, और सभी प्रकार के दुर्व्यवहारों को प्रतिबंधित किया है।

24- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है वह **आध्यात्मिक शुद्धता और पवित्रता का आह्वान करती है,** अतः इसकी शिक्षाएं आत्माओं को शुद्ध और दिलों को पवित्र करती हैं, अल्लाह तआला का कथन हैः

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

अनुवादः (वही है जिसने निरक्षरों में एक रसूल भेजा उन्हीं में से, जो पढ़ कर सुनाते हैं उन्हें अल्लाह की आयतें और पवित्र करते हैं उनको तथा शिक्षा देते हैं उन्हें पुस्तक (क़ुरआन) एवं तत्वदर्शिता (सुन्नत) की)। सूरह जुमुआः 2।

उदाहरण स्वरूप नमाज़ को ही ले लीजिए, इससे आत्मा को शुद्धि व शांति प्राप्त होती है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "हे बिलाल! नमाज़ की इक़ामत कहो,

हमें इससे शांति पहुँचाओ"।[1] अर्थात नमाज़ के द्वारा शांति पहुँचाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनको अज़ान देने एवं इक़ामत कहने का आदेश देते ताकि आप को शांति और राहत मिले।

ज़कात (दान) के द्वारा धन पवित्र होता है, आत्मा को कंजूसी से शुद्धि प्राप्त होती है, इसके द्वारा सर्वोच्च अल्लाह के द्वारा प्रदत्त नियामतों एवं अनुग्रहों का शुक्र अदा किया जाता है, तथा शुक्र (धन्यवाद) अदा करना हृदय की स्वच्छता का माध्यम है, ज़कात से निर्धनों एवं फ़क़ीरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, निर्धनों एवं धनवानों के मध्य ईर्ष्या एवं जलन की समाप्ति होती है, इस प्रकार पूरा समाज शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है।

रोज़ा से यह एहसास उत्पन्न होता है कि समस्त कर्म निःकपट रूप से केवल अल्लाह के लिए अंजाम दिए जाएं, अतः हृदय पाखण्ड एवं दिखावा से शुद्ध हो जाता है, खान-पान की अधिकता के कारण आत्मा के अंदर जो अहंकार एवं अभिमान उत्पन्न हो जाता है, रोज़ा के द्वारा इससे भी वह शुद्ध हो जाती है।

ह़ज्ज के दौरान समस्त ह़ाजी एहराम का वस्त्र धारण करते हैं, जिससे उनकी आत्माएं विलासिता की भावना से मुक्त हो जाती हैं, वे पवित्र स्थानों (मशाइर -ए- मुक़द्दसह) पर एक समान खड़े होते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं, तथा उनके मध्य परस्पर सद्भावना एवं प्रेम का संचार होता है, एक समान आज्ञापालन के द्वारा अल्लाह की वंदना करते हैं, अतः उनकी आत्माएं शुद्ध होती हैं।

अल्लाह का ज़िक्र (जाप, स्मरण) आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके लिए क़ुरआन का पाठ, भोर एवं सांझ की दुआओं (प्रार्थनाओं) का पाठ करना और नमाज़ के बाद अज़कार का नियमित रूप से पालन करना आत्मा की शुद्धि और पवित्रता का सबसे बड़ा साधन है।

---

[1] इसे अबू दावूद (4985) एवं अह़मद (5/ 364) ने रिवायत किया है, तथा अलबानी ने स़ह़ीह़ कहा है।

इस्लाम की नैतिक व्यवस्था आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा साधन है, जैसे माता-पिता की आज्ञाकारिता, संबंध जोड़ना, परिवार और पड़ोसियों के प्रति दया, तथा दुर्बलों और ज़रूरतमंदों की मदद करना।

इस्लामी शिक्षाओं में आत्माओं की शुद्धि एवं पवित्रता की जो विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके ये कुछ उदाहरण थे जो आपके समक्ष रखी गई।

25- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह शारीरिक स्वच्छता का भी आह्वान करती है**, अतः जुमा के दिन एवं वीर्य स्खलन और माहवारी तथा प्रसव के उपरांत स्नान करने, वुज़ू के लिए पवित्रता प्राप्त करने और (मल-मूत्र त्याग के पश्चात) पानी एवं पत्थर से शुद्धि प्राप्त करने का आदेश देती है।

26- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह व्यक्ति के बाहरी रंग रूप का भी ध्यान रखती है**, अतः नैसर्गिक सुन्नतों का पालन करने का आदेश देती है, जैसे मूंछें कटवाना, दाढ़ी छोड़ना, नाखून काटना, काँख के बाल उखाड़ना, तथा जघन के बालों को साफ करना।[1]

इस्लामी शरीअत ने सुगंध प्रयोग करने को भी प्रोत्साहित किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इत्र लगाना पसंद करते थे अपितु बहुधा इसका प्रयोग किया करते थे, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "सांसारिक वस्तुओं में से पत्नी और सुगंध मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और मेरी आँखों की ठंडक नमाज़ में रख दी गई है"।[2]

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुगंध (इत्र) का उपहार लेने से इन्कार नहीं करते थे।[3]

---

[1] देखें: सहीह बुख़ारी (5889) व सहीह मुस्लिम (257), यह हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है।

[2] इस हदीस को अहमद (3/ 128, हदीस संख्याः 12294) ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[3] इस हदीस को बुख़ारी (5929) ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

मानवीय रूप पर इस्लाम का ध्यान देना इस बात से भी प्रमाणित होता है कि इसने सुंदर कपड़े और जूते पहनने को प्रोत्साहित किया, क्योंकि वस्त्र अल्लाह की ओर से बंदों पर एक नियामत है, जिसके द्वारा अल्लाह ने मनुष्यों को अन्य प्राणियों से अलग किया है। सर्वोच्च अल्लाह का कथन है:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون

अनुवादः (हे आदम की संतान! हम ने तुम पर ऐसा वस्त्र उतार दिया है जो तुम्हारे गुप्तांगों को छुपाता, तथा शोभा (प्रदान करता) है, और अल्लाह की आज्ञाकारिता का वस्त्र ही सर्वोत्तम है, यह अल्लाह की आयतों में से एक है ताकि वो शिक्षा लें)। सूरह आराफ़ः 26।

इस आयत का भावार्थ यह है किः हे आदम की संतान! हमने तुम्हारे लिए वस्त्र पैदा किया है जो तुम्हारे शरीर को छुपाता है, जो कि एक आवश्यक वस्त्र और श्रंगार का साधन है, जिसे क़ुरआन में (रीश ريش) के रूप में वर्णित किया गया है, यह पूर्णता और नेअमत (अनुग्रह) का हिस्सा है, इसके बाद अल्लाह ने लोगों को आध्यात्मिक वस्त्र का स्मरण कराया है जो तक़्वा अर्थात धर्मपरायणता का वस्त्र है, इससे अभिप्राय आज्ञाओं का पालन करना तथा वर्जनाओं से बचना है, इसके बाद यह चेताया कि मोमिन के लिए यह सर्वोत्तम वस्त्र है, अतः फ़रमाया कि (अल्लाह की आज्ञाकारिता का वस्त्र ही सर्वोत्तम है)।

एक व्यक्ति ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहाः कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके वस्त्र उत्तम हों, उसके जूते अच्छे हों, तो आप ने फ़रमायाः "अल्लाह स्वंय सुंदर है तथा सुंदरता से प्रेम करता है"।[1]

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जो वस्त्र भी उपलब्ध होता आप उसे धारण कर लेते, चाहे वह ऊन का हो अथवा काटन का या किसी और चीज़ का, न तो इसमें किसी

[1] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (91) ने इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

प्रकार के तकल्लुफ, बनावट और फिजूल खर्ची से काम लेते और न ही प्रसिद्धि वाले वस्त्र की खोज में रहते।

आपके पास एक विशेष वस्त्र भी था जिसे आप ईद की नमाज़ों के लिए एवं जुमा के दिन पहना करते थे।

जब आपके पास कोई प्रतिनिधिमंडल आता तो आप सर्वोत्तम वस्त्र धारण करते तथा अपने समुदाय के प्रमुख लोगों को भी इसका आदेश देते।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट रूप से यह फ़रमाया है कि सदव्यवहार एवं सुंदर वस्त्र नबियों के सद्गुणों में से है।

कपड़ों में आप को सफेद रंग सर्वाधिक प्रिय था, आप इस रंग के कपड़ों को सभी कपड़ों पर वरीयता देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "सफेद कपड़ा पहना करो, निःसंदेह यह तुम्हारे कपड़ों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तथा इसी में अपने मृतकों को दफ़नाओ"।[1]

इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दूसरे रंग का वस्त्र धारण नहीं करते थे। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि (एक बार मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लाल धारीदार जोड़ा पहने देखा, मैंने आप से अधिक सुंदर किसी और नहीं देखा)[2]।[3]

---

[1] इस ह़दीस़ को तिर्मिज़ी (994) ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है और अलबानी ने इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

[2] इसे बुख़ारी (3551) एवं मुस्लिम (2337) ने रिवायत किया है।

[3] शैख़ सईद बिन मुहम्मद आले स़ाबित ह़फ़िज़हुल्लाह की पुस्तकः (हदयुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़िल्लिबास (वस्त्र धारण करने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ढ़ंग)) से मैंने इसे संक्षिप्त रूप में उद्धृत किया है, परंतु अल्लाह की तौफ़ीक़ व अनुग्रह से मैंने इसमें कुछ वृद्धि भी की है, यह पुस्तिका (अल-अलूका) वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मानव के बाहरी रूप एवं उपस्थिति पर ध्यान देने का एक प्रमाण यह है कि शरीअत ने लहसुन या प्याज खाए हुए व्यक्ति को मस्जिद में आने से रोका है, ताकि नमाज़ियों (उपासकों) और फ़रिश्तों को कष्ट न हो।[1]

27- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह अपने अनुयायियों को अधिकाधिक शरीअत का ज्ञान अर्जित करने का आदेश देती है**, जो आत्माओं को जीवन देती है, दिलों को सुधारती है, लोक परलोक में सौभाग्यशालिता के द्वार खोलती है, और समाज को बौद्धिक विचलन तथा विनाशकारी विचारों से सुरक्षित करती है, अल्लाह तआला ने अपने पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आदेश दिया किः وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا अनुवादः (आप प्रार्थना करें कि हे मेरे पालनहार! मुझे अधिक ज्ञान प्रदान कर)। सूरह ताहाः 114।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है किः ''सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह जिसके संग भलाई करना चाहता है उसे धर्म की समझ प्रदान करता है''।[2]

28- इस्लामिक शरीअत की एक विशेषता यह है कि **यह ब्रह्मांड में तर्क और विचार के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, आविष्कार एवं खोज करने को प्रेरित करती है, और हमें ब्रह्माण्ड तथा आत्मा में मौजूद निशानियों पर सोच-विचार करने के लिए आमंत्रित करती है।** अल्लाह सर्वशक्तिमान का कथन हैः

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

अनुवादः (हम शीघ्र ही दिखा देंगे उन को अपनी निशानियां संसार के किनारों में तथा स्वयं उनके भीतर, यहाँ तक कि खुल जायेगी उन के लिए यह बात कि यही सच है)। सूरह फ़ुस्सिलतः 53।

---

[1] देखें: सहीह बुख़ारी (5452) एवं सहीह मुस्लिम (564) यह हदीस जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है। सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लहसुन एवं गन्दना (प्याज के प्रकार की एक वनस्पति) के सेवन से रोका है।

[2] इसे बुख़ारी (71) व मुस्लिम (1037) ने मुआविया बिन अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन किया है।

एक स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है: وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ۝٢١ अनुवाद: (तथा स्वयं तुम्हारे भीतर (भी) फिर क्या तुम देखते नहीं)। सूरह ज़ारिय्यात: 26।

ज्ञात हुआ कि इस्लामी शरीअत बुद्धि से मेल खाती है, टकराती नहीं है, वह ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत करती है जिनके समक्ष बुद्धि आश्चर्यचकित अवश्य होती है परंतु उन्हें असंभव नहीं समझती, मुस्लिम वर्ल्ड लीग (इस्लामी विश्व संघ) के अंतर्गत संचालित संस्था هيئة الإعجاز العلمي (वैज्ञानिक चमत्कार आयोग, Commission on Scientific Miracles) ने क़ुरआन एवं सुन्नत में मौजूद एअजाज़ (चमत्कार) के अनेक प्रमाण एकत्र किए, चाहे वह भ्रूण विज्ञान से संबंधित एअजाज़ हो अथवा खगोल विज्ञान से, या चिकित्सा विज्ञान से हो अथवा समुद्री विज्ञान आदि से संबंधित हो। एअजाज़ (चमत्कार) के इन प्रमाणों के सामने ग़ैर मुस्लिम भौतिकीविद् आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि आज से चौदह सौ वर्ष पूर्व क़ुरआन एवं ह़दीस़ में इन आविष्कारों एवं अन्वेषणों का उल्लेख असंभव है, जब तक कि अल्लाह की ओर से भेजी गई वह़्य (प्रकाशना) के द्वारा इसका रहस्योद्घाटन न हो, क्योंकि उस युग में इन आविष्कारों के संसाधन अनुपलब्ध थे। यह ऐसी चीज़ है जिसके कारण अनेक भौतिक विज्ञानी इस्लाम धर्म स्वीकार करने को विवश हो गए।

29- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह पूरी लगन से काम करने और धरती को आबाद करने का आदेश देती है**, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ۝١٥

अनुवाद: (वही है जिसने बनाया है तुम्हारे लिए धरती को वशवर्ती, तो चलो फिरो उसके क्षेत्रों में तथा खाओ उसकी प्रदान की हुई जीविका, और उसी की ओर तुम्हें फिर जीवित हो कर जाना है)। सूरह मुल्क: 15।

एक स्थान पर सर्वोच्च अल्लाह का कथन है: هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا अनुवाद: (उसी ने तुमको धरती से उत्पन्न किया और तुमको उसी में बसा दिया)। सूरह हूद: 61।

अर्थात उसने तुम्हें धरती में उत्पन्न किया तथा उसमें अपना उत्तराधिकारी बनाया, तुम्हें बाहरी एवं आंतरिक रूप से अनुग्रहित किया, तुम्हें धरती पर शक्ति एवं सामर्थ्य दिया, तुम घर

बनाते हो, पौधे उगाते हो, खेती करते हो और जो चाहो बीज बोते हो और पृथ्वी के लाभों का आनंद लेते हो।

30- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह सुस्ती, काहिली एवं आलस्य से रोकती है**, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम विवशता एवं आलस्य से अल्लाह की शरण माँगा करते थे, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ किया करते थे।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"हे अल्लाह! मैं तेरी शरण चाहता हूँ दुःख एवं कष्ट से, विवशता एवं आलस्य से, कंजूसी एवं कायरता से, तथा ऋण के बोझ एवं लोगों के प्रभुत्व से"।[1]

* * *

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (6369) ने रिवायत किया है।

शरीअत की वो विशेषताएं जिनका संबंध उन लोगों से है जो इसके अनुयायी नहीं हैं (अर्थात ग़ैर मुस्लिम हैं)

31- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह विरोधियों के साथ बात-चीत करने को प्रोत्साहित करती है**, अल्लाह सर्वशक्तिमान ने अपने पैग़ंबर से कहाः

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُون

अनुवादः (हे नबी! कह दीजिए कि हे अहले किताब! एक ऐसी बात की ओर आ जाओ जो हमारे तथा तुम्हारे बीच समान रूप से मान्य है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत (वंदना) न करें, और किसी को उसका साझी न बनाएं, तथा हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा पालनहार न बनाए, फिर यदि वह विमुख हों तो आप कह दें कि तुम साक्षी रहो कि हम (अल्लाह के) आज्ञाकारी हैं)। सूरह आले इमरानः 64।

एक स्थान पर अल्लाह तआला ने अपने नबी को आदेश देते हुए फ़रमायाः

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين

अनुवादः (-हे नबी!- आप उन्हें अपने पालनहार की राह (इस्लाम) की ओर तत्वदर्शिता तथा सदुपदेश के साथ बुलाएं, और उनसे ऐसे अन्दाज़ में शास्त्रार्थ करें जो उत्तम हो, वास्तव में अल्लाह उसे अधिक जानता है, जो उसकी राह से विचलित हो गया, और वही सुपथों को भी अधिक जानता है)। सूरह नह़्लः 125।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने निमंत्रण और उपदेश (दावत व तबलीग़) का कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाया, आपने छोटे और बड़े, धनवान और निर्धन, पुरुष और महिला, निकटवर्ती और दूर वाले, श्वेत और अश्वेत सभी लोगों को आमंत्रित किया तथा आपके निमंत्रण को इतने अधिक लोगों ने स्वीकार किया कि इससे पहले इतने लोगों ने किसी नबी के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया था।

आपने रोम के राजा को इस्लाम का आमंत्रण देते हुए एक संदेश लिखा।

ह़ब्शा (सूडान) के राजा नजाशी को संदेश भेज कर इस्लाम की दावत दी।

फ़ारस के राजा किसरा के नाम पत्र लिखा तथा उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने का न्योता दिया।

उन्होंने स्कंदरियह (Alexandria, अलेक्जेंड्रिया) के राजा मुक़ौक़िस को एक पत्र लिखा, जो क़िब्त़ (Copts कॉप्टस) राष्ट्र के नेता थे, तथा उन्हें इस्लाम में आने का आमंत्रण दिया।

बलक़ा, जो कि जॉर्डन की सबसे पुरानी बस्ती है, के राजा ह़ारिस़ बिन अबू शिम्र अल-ग़स्सानी के नाम पत्र लिखा।

यमामह, जो अरब द्वीप के मध्य में स्थित है, के रहने वाले हौज़ह बिन अली अल-ह़नफ़ी के नाम संदेश भेजा तथा उसे इस्लाम की दावत दी।

ओमान में, जुलंदी के बेटे जैफ़र तथा अब्दुल्लाह अल-अज़्दी को पत्र लिख कर इस्लाम की दावत दी।

बहरीन के राजा मुंज़िर बिन सावी अल-अब्दी को पत्र लिखकर इस्लाम में प्रवेश के लिए आमंत्रित किया।

यमन में, ह़ारिस़ बिन अब्दे कुलाल अल-ह़िम्यरी को पत्र लिखा और इस्लाम में आने को आमंत्रित किया।

यमन वासियों के लिए अबू मूसा अशअरी एवं मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हुमा को दाई व प्रचारक के रूप में भेजा, अतः वहाँ के आम जनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, इन दोनों के बाद अली बिन अबू त़ालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके पास भेजा।[1]

---

[1] मैंने इन संदेशों की जानकारी ''ज़ाद अल-मआद'' (1/ 119) तथा उसके बाद से उद्धृत किया है। प्रकाशकः दार अल-रिसालह, अन्वेषणः शुऐब व अब्दुल क़ादिर अल-अरनऊत़ रहिमहुमल्लाह।

विरोधियों के संग वार्तालाप एवं चर्चा के लिए एक अच्छा माहौल स्थापित करने के लिए इस्लामी शरीअत ने जो व्यवस्था की है, उसका एक प्रमाण उस यहूदी विद्वान (ह़ब्र) का वृत्तांत भी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ और कहा किः मैं आप से पूछने आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "यदि मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा तो क्या तुम्हें उससे लाभ मिलेगा?", उसने कहाः मैं एकाग्रचित्त हो कर अपने दोनों कानों से सुनूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक छड़ी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास थी, धरती पर धीरे-धीरे मारी और फ़रमायाः "पूछो"। यहूदी ने कहाः जिस दिन धरती बदलेगी तथा आकाश (भी) बदलेगा तो लोग कहाँ होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "वह पुल (स़िरात़) से (कुछ) पहले अंधेरे में होंगे"। उसने पूछाः सबसे पहले कौन लोग गुज़रेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "निर्धन मुहाजिरीन"। यहूदी ने पुनः प्रश्न कियाः जब वह स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो उनको क्या पेश किया जायेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जिगर (यकृत, कलेजा) का अतिरिक्त भाग"। उसने पूछाः इसके पश्चात उनका भोजन क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उत्तर देते हुए फ़रमायाः "उनके लिए स्वर्ग में बैल ज़ब्ह़ किया जायेगा जो उसके किनारे चरता फिरता है"। उसने कहाः उस (भोजन) पर उनका पेय क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः "उस (स्वर्ग) के सलसबील नामक कुंड से"। उसने कहाः आपने सच कहा। इसके पश्चात उसने कहाः मैं आपसे एक वस्तु के विषय में पूछने आया हूँ जिसे धरती वासियों में से केवल एक नबी ही जानता है अथवा एक या दो व्यक्ति और। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "यदि मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम्हें उससे लाभ मिलेगा?"। उसने कहाः मैं ध्यान लगा कर उस बात को सुनूँगा। उसने कहाः मैं आप से संतान के विषय में पूछने आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "पुरुष का पानी (वीर्य) उजला होता है जबकि महिला का पानी पीला, जब दोनों का समागम होता है तथा पुरुष का वीर्य महिला के वीर्य पर प्रभुत्व पा लेता है तो अल्लाह के आदेश से दोनों के यहाँ पुत्र पैदा होता है तथा जब महिला का वीर्य पुरुष के वीर्य पर प्रभुत्व पा लेता है तो अल्लाह के आदेश से दोनों के यहाँ पुत्री पैदा होती है"। यहूदी ने कहाः सही में आप ने सच कहा, तथा निःसंदेह आप नबी हैं, फिर वह पलट कर चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "इसने मुझ से जिस चीज़ के बारे में प्रश्न किया उस समय तक मुझे उसमें से किसी

चीज़ का कुछ भी ज्ञान नहीं था, यहाँ तक कि सर्वोच्च अल्लाह ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया"।[1]

***

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं किः "मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मदीना के वीराने में चल रहा था और आप खजूर की छड़ी की सहायता ले कर चल रहे थे। मार्ग में कुछ यहूदियों के पास गुज़रे, उन्होंने आपस में कहाः इन (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से रूह (आत्मा) के विषय में प्रश्न करो, उनमें से एक ने कहाः तुम उनसे ऐसा प्रश्न न करो कि जिसके उत्तर में वह ऐसी बात कहें जो तुम को बुरी लगे। कुछ लोगों ने कहाः हम तो अवश्य प्रश्न करेंगे। अंततः उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगाः हे अबुल क़ासिम! रूह क्या चीज़ है? आप चुप रहे। मैंने (अपने मन में) कहाः कि वह्य (प्रकाशना) का अवतरण हो रहा है। जब यह स्थिति समाप्त हो गई तो आपने इस आयत का पाठ कियाः

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

अनुवादः (-हे नबी!- लोग आप से रूह के विषय में पूछते हैं, आप कह दें: रूह मेरे पालनहार के आदेश से है, और तुम्हें जो ज्ञान दिया गया वह बहुत थोड़ा है)। सूरह इस्राः 85"।[2]

***

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि यहूद के विद्वानों में से एक विद्वान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगाः हे मुहम्मद! हम (तौरात में) पाते हैं कि अल्लाह तआला आसमानों को एक ऊँगली पर रख लेगा, इसी प्रकार से समस्त धरती को एक ऊँगली पर, पहाड़ों को एक ऊँगली पर, वृक्षों को

---

[1] इस हदीस़ को मुस्लिम (315) ने स़ौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[2] इस हदीस़ को बुख़ारी (125) एवं मुस्लिम (2794) ने रिवायत किया है।

एक ऊँगली पर तथा अन्य समस्त सृष्टि को एक ऊँगली पर, फिर कहेगाः मैं ही बादशाह हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह सुन कर हंस पड़े यहाँ तक कि आप के सामने के दाँत दिखाई देने लगे।

एक अन्य रिवायत में है किः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यहूदी की बात पर आश्चर्य प्रकट करते हुए तथा उसकी पुष्टि करते हुए हंस पड़े थे।[1]

32- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **न्यायप्रिय ग़ैर-मुस्लिम जब इससे अवगत होता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है और उसे यह विश्वास हो जाता है कि यह अल्लाह की ओर से उतारी गई है,** और यह कि समस्त मानव मिल कर भी इस जैसी सुंदर व उत्तम शरीअत प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, यह ग़ैर-मुस्लिम की ओर से इस धर्म के सत्य एवं सही होने की पुष्टि है, अल्लाह तआला ने क़ुरआन के प्रति बिल्कुल सच कहा हैः

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

अनुवादः (यदि वह अल्लाह के सिवा दूसरे की ओर से होता तो उस में बहुत सी प्रतिकूल (बेमेल) बातें पाते)। सूरह निसाः 82।

33- इस्लामी शरीअत की विशेषताओं में से एक यह है कि **जो ग़ैर-मुस्लिम इस से अवगत होता है तथा उसे यह विश्वास हो जाता है कि यह अल्लाह की ओर से है और ऐसा असंभव है कि यह मानव निर्मित हो, तो इसके कारण वह इस्लाम में प्रवेश कर जाता है**, ऐसे लोगों की संख्या अनगिनत है, चाहे वे काफ़िर देश के लोग हों अथवा इस्लामी देशों में रहने वाले ग़ैर-मुस्लिम, चाहे शिक्षित लोग हों अथवा अनपढ़ वर्ग।

34- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **जो इसमें प्रवेश करता है, यदि वह बुद्धि एवं ज्ञान का स्वामी हो तो अपने धर्म से क्रोध एवं घृणा के कारण उसे नहीं छोड़ता है**, इस्लामी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि यह बात पूर्व में भी कही जा चुकी है कि इस्लामी शिक्षाएं बुद्धि एवं प्रकृति के अनुकूल हैं, वे मनुष्य की सभी आध्यात्मिक और भौतिक

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (7414) एवं मुस्लिम (2786) ने रिवायत किया है।

आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, अल्ह़म्दुलिल्लाह (समस्त प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं) कि तर्क प्रमाणित हो गया और मार्ग प्रकाशित हो गया।

❊ ❊ ❊

शरीअत की वो विशेषताएं जो व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित हैं

35- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **यह मूल रचना एवं मानवता के संदर्भ में अपने अनुयायियों के बीच समानता स्थापित करती है,** अतः शरीअत की शिक्षाएं यह बताती हैं कि सभी मनुष्य एक ही पुरुष और महिला (आदम और ह़व्वा) से पैदा हुए हैं। तथा यही सामान्य मान-सम्मान का कारण है, सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन हैः

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

अनुवादः (और हमने बनी आदम (मानव) को प्रधानता (सम्मान) दिया)। सूरह इस्राः 70।

जहाँ तक विशेष आदर का सवाल है, तो इसका एकमात्र उपाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आज्ञाकारिता है, जिसे अल्लाह के इस आदेश में तक़्वा (धर्मपरायणता) के रूप में परिभाषित किया गया हैः

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

अनुवादः (हे मनुष्यो! हमने तुम्हें पैदा किया है एक नर-नारी से, तथा बना दी है तुम्हारी जातियाँ और प्रजातियाँ ताकि एक दूसरे को पहचानो, वास्तव में तुम में अल्लाह के समीप सब से अधिक आदरणीय वही है जो तुम में अल्लाह से सबसे अधिक डरता हो, निःसंदेह अल्लाह सब जानने वाला सबसे सूचित है)। सूरह हुजुरातः 13।

36- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **यह मानवाधिकारों की रक्षा करती है, जिसकी संख्या एक सौ साठ तक पहुँचती है।**[1] मैंने इन अधिकारों को एक अलग पुस्तक में संग्रहित किया है जिसका नाम मैंने “ह़क़ूक़ुल इंसान फ़िल इस्लाम – 150 ह़क़ (इस्लाम में इंसानों के अधिकार – 150 अधिकार)” रखा है।

---

[1] इस संख्या की सीमा का निर्धारण मेरी खोज एवं शोध के आधार पर है, संभव है कि इन अधिकारों की संख्या इससे अधिक हो, और प्रत्येक ज्ञानी के ऊपर एक बड़ा ज्ञानी मौजूद है।

37- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **यह अपने अनुयायियों की पहचान, तादात्म्य एवं शिनाख़्त की रक्षा करता है**। इस्लामी शरीअत ने यह अनिवार्य किया है कि पिता की ओर मानव की निस्बत एवं संबंध को सुरक्षित रखा जाए, तथा उसके सिवा किसी अन्य की ओर निस्बत रखने को हराम करार दिया है, सर्वोच्च अल्लाह का फ़रमान हैः

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ

अनुवादः (-दत्तक संतानों को- उनके पिताओं से संबंधित कर के पुकारो, यह अधिक न्याय की बात है अल्लाह के निकट)। सूरह अहज़ाबः 5।

इस स्थान पर यह चेतावनी देना उचित प्रतीत होता है कि ग़ैर-मुस्लिमों के यहाँ महिलाओं की पहचान एवं निस्बत बदलने की जो प्रवृत्ति है, उससे उनकी अपनी मूल पहचान खो जाती है। वह इस प्रकार से कि विवाह होते ही उसकी निस्बत पिता से समाप्त कर के पति की तरफ़ कर दी जाती है।

38- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह पारिवारिक संरचना की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।** वह इस प्रकार से कि यह शादी के लिए प्रेरित करती है, पति और पत्नी के बीच एकता और आपसी समझ का माहौल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही यह बच्चे पैदा करने के लिए भी उभारती है ताकि मुस्लिम उम्मत की संख्या अधिक से अधिक बढ़े, इसी तरह यह बच्चों के अच्छे प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करती है और ऐसा करने वालों के लिए बड़ा इनाम निर्धारित करती है, और उनके प्रशिक्षण में किसी प्रकार की उपेक्षा करने से रोकती है। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन हैः

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

अनुवादः (हे लोगो जो ईमान लाए हो! बचाओ अपने आप को तथा अपने परिजनों को उस अग्नि से जिसके ईंधन मनुष्य तथा पत्थर होंगे)। सूरह तहरीमः 6।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस़ हैः “तुम में से हर एक अभिभावक है तथा वह अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायी होगा। एक आदमी अपने घर का रखवाला होता है और

अपने परिवार के बारे में उससे सवाल पूछेगा। एक महिला अपने पति के घर की संरक्षक होती है और उससे उसकी प्रजा के बारे में पूछा जाएगा। नौकर अपने स्वामी के धन का संरक्षक होता है और उससे उसके अधिकारक्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा ... तुम में से हर एक व्यक्ति अभिभावक है और तुम में से प्रत्येक से उसकी प्रजा के बारे में पूछा जाएगा"।[1]

पारिवारिक संरचना की सुरक्षा में यह भी शामिल है कि पति को पत्नी के अधिकारों की रक्षा के लिए विवश किया गया है, तथा पत्नी अपने पति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है, और दोनों को यह आदेश दिया गया है कि अपने बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दें और उन पर अपना धन खर्च करें, ऐसा करने से उनका घर संयम एवं संतुलन के आधार पर स्थापित होगा और पारिवारिक ढांचा तैयार होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ हैः "सर्वोत्तम दीनार (धन) जिसे व्यक्ति खर्च करता है वह दीनार है जिसे वह अपने परिवार के लोगों पर व्यय करता है"।[2]

परिवार के लोगों में घर के वो सभी लोग शामिल हैं जिनके ऊपर खर्च करना उसके जिम्मे है, तथा पत्नी निस्संदेह रूप से इसमें शामिल है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "(जिन दीनारों पर पुण्य मिलता है उन में से एक) वह दीनार है जिसे तुम ने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दीनार वह है जिसे तू ने किसी की गर्दन (की स्वतंत्रता) के लिए व्यय किया, एक दीनार वह है जिसे तू ने मिस्कीन पर स़दक़ा (दान) किया तथा एक दीनार वह है जिसने तू ने अपने घर वालों पर खर्च किया, इन में सबसे अधिक पुण्य उस दीनार का है जिसे तुम ने अपने परिवार वालों पर खर्च किया"।[3]

39- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **यह महिलाओं के अधिकारों, उनके सम्मान और गरिमा, उनकी भावनाओं और जरूरतों का ख्याल रखती हैं**, अतः महिलाओं के लिए इस्लाम द्वारा गारंटीकृत अधिकारों की संख्या अस्सी (80) से अधिक है।

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (893) एवं मुस्लिम (1829) ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है, तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

[2] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (994) ने स़ौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[3] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (995) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

यही कारण है कि (इस्लाम की दृष्टि में) मुस्लिम महिला एक सम्मानित और प्रतिष्ठित प्राणी है, अपने पति, बच्चों और समाज के लिए एक वरदान है, जबकि पूर्व और पश्चिम में महिलाओं को गंभीर रूप से अपमानित एवं तिरस्कृत किया जाता है, चाहे वो कुंवारी हों, या माँ हों अथवा बूढ़ी महिला, यदि वह युवती है तो उसे केवल आनंद एवं भोग का स्रोत माना जाता है, जब वह बूढ़ी हो जाती है तो उसे ओल्ड होम भेज दिया जाता है। इन महिलाओं के बीच मनोवैज्ञानिक औषधियों, नशीले पदार्थों के सेवन, गर्भपात एवं आत्महत्या की जो सामान्य प्रवृत्ति है उसकी तो बात ही न करें!।[1]

40- इस्लामिक शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **इसने सामूहिकता और पारस्परिक एकता को बढ़ावा दिया है तथा कलह और अराजकता से रोका है**, ताकि समाज के लोग शांति और सुकून का जीवन जी सकें, क्योंकि जब तक शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती, तब तक कोई समाज सुखी नहीं हो सकता है, और सामूहिकता के बिना अमन-चैन असंभव है। ऐसे बहुत से नुसूस (श्लोक) मौजूद हैं जिनमें सामूहिकता का आदेश दिया गया है और कलह से मना किया गया है। उन नूसूस में से एक अल्लाह तआला का यह कथन भी हैः

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۖ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

अनुवादः (तथा अल्लाह की रस्सी को सब मिल कर दृढ़ता के साथ पकड़ लो, और विभेद में न पड़ो, तथा अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार को याद करो जब तुम एक दूसरे के शत्रु थे, तो तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, और तुम उसके पुरस्कार के कारण भाई-भाई हो गए, तथा तुम

---

[1] अधिक लाभ के लिए देखें: "स़मानून मज़हरन मिन मज़ाहिरि तकरीमिल इस्लाम लिल मरअति, व ह़िफ़्ज़ हुक़ूक़िहा, व एह़तरामि मशाइरिहा (इस्लाम की अस्सी ख़ूबियां जो महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी भावनाओं का सम्मान करने से संबंधित हैं)"। लेखकः माजिद बिन सुलैमान अल-रस्सी। यह पुस्तक इंटरनेट पर उपलब्ध है।

अग्नि के गड़हे के किनारे पर थे तो तुम्हें उस से निकाल दिया, इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को उजागर करता है, ताकि तुम मार्गदर्शन पा जाओ)। सूरह आले इमरानः 103।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी एकता का आदेश दिया है एवं कलह तथा अराजकता से रोका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "अल्लाह ने तुम्हारे लिए तीन चीज़ों को पसंद किया है तथा तीन चीज़ें तुम्हारे लिए नापसंद की हैं, तुम्हारे लिए पसंद किया है कि तुम उसकी उपासना करो तथा उसके संग किसी को साझीदार न बनाओ, जिसको अल्लाह तआला तुम्हारा शासक बना दे उसके संग भलाई एवं हितैषी वाला व्यवहार करो, तथा तुम सब मिल कर अल्लाह की रस्सी को दृढ़ता के साथ थाम लो। और तुम्हारे लिए नापसंद किया हैः फालतू की बातें, अत्यधिक सवाल करना एवं अपव्यय"।[1]

41- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **इसने इमामत पर जोर दिया है**, इसके पीछे हिकमत (तत्वज्ञान) यह है कि एकता बनी रहे, लोगों के हितों का प्रबंधन होता रहे, धर्म कायम रहे, शांति और व्यवस्था बहाल रहे तथा इसके द्वारा पाँच अनिवार्यों की सुरक्षा हो सकेः धर्म, जान, बुद्धि, धन और मान-सम्मान। इसीलिए मुसलमानों की आम सहमति यह है कि इमाम नियुक्त करना अनिवार्य है, क्योंकि जिसके बिना अनिवार्य को पूरा करना संभव नहीं हो वह भी अनिवार्य है। इमाम बनाने को उन फ़र्ज़ -ए- किफ़ाया में गिना गया है जिनको उम्मत यदि सही ढ़ंग से अदा करती है तो ठीक है अन्यथा वो गुनाहगार होगी, बल्कि क़ुर्तुबी ने कहा हैः यह दीन -ए- इस्लाम के उन अरकान (आधार स्तंभ) में से एक है जिन पर मुसलमानों के हित आधारित एवं स्थापित हैं।

इमामत स्थापित करने का तरीका मुसलमानों के लिए यह है कि वे अपने लिए एक इमाम चुनें, जो उनका मुखिया या अमीर या राजा हो, फिर उस पर एकजुट हो जाएं, फिर वह इमाम मंत्रियों, विद्वानों और सुधारकों को नियुक्त करे, मदरसों और स्कूलों की स्थापना करे, अम्र बिल मअरूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर (भलाई का आदेश देने तथा बुराई से रोकने) को रिवाज दे जिस को सर्वोच्च अल्लाह ने क़ुरआन की विभिन्न आयतों (श्लोकों) में सफलता एवं शासन

---

[1] इस ह़दीस़ को अह़मद (2/ 360) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, तथा "अल-मुस्नद" (14/ 336) के अन्वेषकों ने इसकी सनद को मुस्लिम की शर्त के अनुसार स़ह़ीह़ करार दिया है।

का आधार बताया है, तथा इसे त्यागने पर अपमान, पराजय, तिरस्कार एवं निरादर की चेतावनी दी है, क्योंकि अल्लाह तआला बादशाह के द्वारा उन (बुराईयों) को रोक देता है जिन्हें क़ुरआन के द्वारा नहीं रोकता।

शैख़ डॉक्टर अब्दुल्लाह तुर्की -अल्लाह उनकी रक्षा करे- कहते हैं किः इस्लामी दृष्टिकोण से नेतृत्व को अमीन (अमानतदार) की श्रेणी में रखा जाता है, जो लोगों के हितों और जरूरतों की रक्षा करता है। वह कोई ऐसी (विपक्षी) पार्टी नहीं है जो लोगों से लड़ती हो और लोग उससे अपनी रक्षा करते हों।

यह एक ऐसा नेतृत्व है जो अपने अनुशासन और मौलिक सिद्धांतों में इस्लामी शरीअत का पालन करता है।

यदि इस्लाम का यह सिद्धांत समाज के सदस्यों के दिलों में स्थापित हो जाए तो वे नेतृत्व के साथ सहयोग करना शुरू कर देंगे। उनका कथन संक्षिप्तता के साथ समाप्त हुआ।[1]

इमामत को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि अच्छे कामों में इमाम की बात सुनी जाए और उसका पालन किया जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन हैः "एक मुसलमान के लिए अमीर की बात सुनना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, यह आज्ञापालन प्रिय तथा अप्रिय दोनों स्थितियों में है बशर्ते कि उसे पाप करने का आदेश न दिया जाए, यदि उसे पाप करने का आदेश दिया जाए तो न बात सुनी जाए एवं न ही आज्ञापालन किया जाए"।[2]

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "तुम पर (इस्लामी शासक का आदेश) सुनना तथा मानना वाजिब है, अपनी कठिनाई (वाली परिस्थितियों) में भी तथा अपनी आसानी में भी, अपनी प्रसन्नता में भी

---

[1] हुक़ूक़ुल इन्सानि फ़िल इस्लामः 18।

[2] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (7144) एवं मुस्लिम (1839) ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

एवं अपनी अप्रसन्नता में भी तथा उस समय भी जब तुम्हारे ऊपर (किसी अन्य) को वरीयता दी जा रही हो"।[1]

यदि बादशाह तुम पर किसी अन्य को वरीयता दे तो उसे बर्दाश्त करो और उसके विरुद्ध बगावत का बिगुल न फूंको, अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिला दे, क्योंकि अल्लाह तआला ही तुम्हारा सहायक व मददगार है।

इमामत के उद्देश्यों को कमजोर करने वाली चीजों में से यह भी है कि इमाम की आज्ञा का पालन न किया जाए, उसके खिलाफ विद्रोह करना, विरोध प्रदर्शन, धरना एवं क्रांतियां करना इत्यादि शामिल हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो अव्यवस्था एवं अराजकता पैदा करती हैं। कई मुस्लिम देशों ने मुस्लिम शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का भयानक परिणाम भुगता है, अंततः उनका अंजाम बड़ा भयानक हुआ।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की स्पष्ट ह़दीस़ में इमाम के विरुद्ध विद्रोह करने को ह़राम (वर्जित) करार दिया गया है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जो व्यक्ति अपने अमीर के अंदर कोई अप्रिय बात देखे तो स़ब्र करे क्योंकि यदि कोई अपने अमीर के आज्ञापालन से इंच भर भी हट गया तो वह जाहिलिय्यत[2] (अज्ञानता युग) की मौत मरेगा"।[3]

42- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह जाहिली प्रतिशोध को समाप्त करके** लोगों से व्यवहार करने में एक नया तरीका अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ह़ज्ज के ख़ुत़बा (भाषण) में जन समूह को संबोधित करते हुए फ़रमायाः "जाहिलिय्यत युग की हर चीज़ मेरे दोनों पैर के नीचे रख दी गई (अर्थात

---

[1] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (1836) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[2] जाहिलिय्यत से अभिप्राय वह स्थिति है जिसमें अरब वासी इस्लाम के पूर्व रह रहे थे, जो अल्लाह, उसके रसूल एवं धार्मिक विधानों से अज्ञानता का युग था, वंश एवं कुल पर अभिमान करने, अहंकार करने एवं अन्याय का युग था। देखें: "अल-निहायह"।

[3] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (7053) एवं मुस्लिम (1849) ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है, तथा उपरोक्त शब्द बुख़ारी के हैं।

इन का अब कोई औचित्य नहीं रहा) तथा जाहिलिय्यत के ख़ून निराधार हो गए, और पहला ख़ून जो मैं अपने ख़ूनों में क्षमा करता हूँ वह इब्ने रबीअह बिन अल-हारिस़ का ख़ून है"।[1]

इस पृष्ठभूमि में यह चेतावनी देना उचित प्रतीत होता है कि इस्लामी शरीअत ने दो दुश्मनों के बीच शांति और सद्भाव पैदा करने और एक-दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रोत्साहित किया है और इसके लिए अपार पुरस्कार तथा पुण्य निर्धारित किए हैं। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन हैः

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

अनुवादः (फिर जो क्षमा कर दे तथा सुधार कर ले तो उसका प्रतिफल अल्लाह के ऊपर है, वास्तव में वह प्रेम नहीं करता है अत्याचारियों से)। सूरह शूराः 40 ।

इस विषय से संबंधित अनेक आयतें एवं हदीसें मौजूद हैं।

* * *

[1] इस हदीस़ को मुस्लिम (1218) ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

शरीअत की वो विशेषताएं जिनका संबंध शरीअत की सुरक्षा व हिफ़ाज़त तथा संग्रह और संकलन से है।

43- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह नष्ट होने से सुरक्षित है**, क़ुरआन की सुरक्षा के संबंध में अल्लाह सर्वशक्तिमान फ़रमाता हैः

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝٩

अनुवादः (हमने ही इस क़ुरआन को उतारा है तथा हम ही इसकी सुरक्षा करने वाले हैं)। सूरह हिज्रः 9।

काफ़िरों की साजिशों, अनगिनत युद्धों और अंतहीन षड्यंत्रों के बावजूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ों का संग्रह अभी भी सुरक्षित है जो पीढ़ी दर पीढ़ी तथा सदी दर सदी हम तक चले आ रहे हैं।

शरीअत को नष्ट होने से सुरक्षित रखने का एक माध्यम यह है कि अल्लाह ने इस मिशन की पूर्ति के लिए अपनी सृष्टि में से ऐसे लोगों को प्रयोग किया जो इसे नष्ट होने से सुरक्षित रख सकें, इन से अभिप्राय वो सम्माननीय उलमा हैं जो नबियों (के ज्ञान) के उत्तराधिकारी हैं, इसी प्रकार से ऐसे सदाचारी शासक व राजा तथा धनवान एवं अधिकार प्राप्त लोग (अभिप्राय हैं) जिन्होंने अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं धन को इस्लाम की सहायता के लिए लगा दिया, वह इस प्रकार से कि ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया, तथा इस मार्ग में (बिना किसी हिचकिचाहट के) धन खर्च किया। मुआवियह रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "मेरी उम्मत का एक समूह सदा अल्लाह के आदेश पर स्थिर रहेगा, जो व्यक्ति उनकी सहायता से दूर होगा अथवा उनका विरोध करेगा वो उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का आदेश आ जाए, और वह हमेशा लोगों पर हावी रहेगा (अथवा उनके समक्ष प्रबल रहेगा)"।[1]

[1] इसे बुख़ारी (3641) व मुस्लिम (1037) ने रिवायत किया है, तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

इस स्थान पर यह उल्लेख करना भी उचित है कि इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि हर वो शिष्टाचार जिसके द्वारा एकता उत्पन्न होती है तथा बहुतेरे हृदय आपस में जुड़ते हैं, इस्लाम ने उन शिष्टाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जैसे सलाम को आम करना, संबंध जोड़ना, पड़ोसियों के संग अच्छा व्यवहार करना। तथा हर वह दुर्व्यवहार जिससे कलह एवं क्लेश उत्पन्न होता है उससे इस्लाम ने रोका है, जैसे ग़ीबत (पिशुनता) एवं चुग़ली करना तथा संबंध तोड़ना।

44- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **इसकी विरासत सनद के साथ सुरक्षित है**, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यहाँ तक कि सनद का सिलसिला समाप्त हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या स़ह़ाबी तक अथवा ताबेई तक, यद्यपि वह कथन कम हों या अधिक, सभी के सभी रिजाल (ह़दीस़ बयान करने वाले लोग) न्याय प्रिय, तीक्ष्ण बुद्धि एवं ठोस संस्मरण और सच्चे होने में प्रसिद्ध हैं।

इस्नाद[1] दीन -ए- इस्लाम की सुरक्षा एवं संरक्षण का माध्यम एवं तरीका है, यदि सनद न होती तो कथन अधूरे एवं अपूर्ण होते, कोई भी व्यक्ति जो चाहता बोल देता और अल्लाह के दीन में ऐसी चीज़ें प्रवेश पा जातीं जो उसका अंश नहीं हैं, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह़िमहुल्लाह जो कि अत्यंत सम्माननीय ताबेई हैं, वह कहते हैं: "इस्नाद दीन -ए- इस्लाम का अभिन्न अंग है, यदि सनद न होती तो जिस किसी के मन में जो आता बोल देता"।[2]

इस्नाद के द्वारा दीन -ए- इस्लाम की सुरक्षा इस धर्म की ऐसी विशेषता है जिससे सर्वोच्च अल्लाह ने समस्त धर्मों के मध्य इस्लामी शरीअत को वरीयता एवं विशिष्टता प्रदान की है, तथा इसे प्रत्येक युग में मुसलमानों के दरम्यान बाकी रखा, किसी फ़ासिक़ (पाखण्डी) के लिए संभव नहीं कि इस्लामी विधान के किसी भाग में एक वाक्य की भी वृद्धि कर सके, यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी वास्तविकता सामने आ जाती है, यही कारण है कि इस्लामी शरीअत हर प्रकार की मिलावट एवं मिश्रण से शुद्ध एवं पाक है।

---

[1] ह़दीस़ बयान करने वाले रावियों (वाचकों) की जो श्रृंखला होती है उसे सनद अथवा इस्नाद कहते हैं। अनुवादक।

[2] इस कथन को मुस्लिम ने अपनी स़ह़ीह़ में उद्धृत किया है।

45- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **इसने अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत (जीवनी) को सुरक्षित रखा**, अतः आपकी सीरत हर युग में एक खुली किताब के समान रही है तथा क़यामत तक रहेगी।[1]

आप इकलौते ऐसे नबी हैं जिनके विषय में हरेक चीज़ लोग जानते हैं, यहाँ तक कि आपके घर के अंदर की स्थिति एवं वैवाहिक जीवन की जो कैफियत थी लोग उसे भी जानते हैं, आपने अपने आम एवं निजी जीवन का कोई भी भाग लोगों से छिप्त नहीं रखा, क्यों? इसलिए कि आप नबियों एवं रसूलों की श्रृंखला को समाप्त करने वाले हैं, और जो इस उच्च स्थान पर आसीन हो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी कोई बात राज़ न रखे ताकि लोग क़यामत तक जीवन की समस्त परिस्थितियों में आपका अनुसरण कर सकें।

इन विशेषताओं एवं प्रधानताओं के प्रचार-प्रसार को पूरा करने के लिए सर्वोच्च अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अमानतदार स़हाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम एवं सम्मानित पत्नियों से अनुग्रहित किया, जिन्होंने प्रत्येक वह चीज़ नक़ल की जो आप से सुनी, या देखी, यद्यपि आप यात्रा में हों अथवा अपने घर पर, अमन व शांति की स्थिति में हों अथवा भय और आतंक के माहौल में, आराम की स्थिति में हों या कठिनाई की स्थिति में, युद्ध के क्षेत्र में हो अथवा शांति और सुरक्षा की स्थिति में, चाहे वह आपकी इबादत (वंदना) से संबंधित हो अथवा आचार-व्यवहार से, या क्रय-विक्रय से, आप सोते समय क्या पढ़ते थे, जागते तो कौन सी दुआ पढ़ते, परेशानी के समय क्या पढ़ते, रात्रि में निद्रा से जाग्रत होने की स्थिति में क्या पढ़ते, भय की स्थिति में क्या पढ़ते, शौचालय जाते समय क्या पढ़ते तथा जब वहाँ से निकलते तो क्या पढ़ते, घर में प्रवेश करते समय एवं घर से निकलते समय क्या कहते, बाज़ार में दाख़िल होते तो क्या पढ़ते, चाँद देखते तो क्या कहते, वर्षा के समय क्या प्रार्थना करते, नवीन वस्त्र धारण करते तो क्या कहते, पीड़ितों को देखते तो क्या पढ़ते, वुज़ू करते समय क्या पढ़ते, वुज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद क्या कहते, नमाज़ आरंभ करते तो क्या पढ़ते, नमाज़ के

[1] यह एक महत्पूर्ण उद्धृण है जिसे मैंने संक्षिप्त रूप से एक अत्यंत लाभदायक पुस्तक (मिन असरारि अज़मतिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पृः 41-50 से नक़ल किया है, जिसके लेखकः ख़ालिद अबू स़ालेह़ हैं, प्रकाशकः मदारुल वत़न लिन्नश्र – रियाज़। मैंने उद्धृण में अल्लाह की कृपा से कुछ कमीबेशी भी की है।

दौरान क्या पढ़ते, नमाज़ के पश्चात क्या दुआ करते, पत्नी से सहवास करते समय कौन सी दुआ पढ़ते, स़ह़ाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आप से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जब कोई अपनी पत्नी के पास (सहवास करने के लिए) आने की इच्छा करे तो यह दुआ पढ़ेः " بِسْمِ الله اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबनश्शैतान, व जन्निबिश्शैतान मा रज़क़्तना (अर्थातः अल्लाह के नाम की बरकत और कल्याण से। हे अल्लाह! हमें शैतान से दूर रख एवं तू हमें जो प्रदान करे उसे भी शैतान से दूर रख)।

यदि दोनों के मिलाप से कोई बच्चा उत्पन्न होगा तो शैतान उसे कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेगा"।[1]

मैं निम्न में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत (जीवनी) से संबंधित एक पुस्तक की पूर्ण विषय सूची का उल्लेख कर रहा हूँ ताकि पाठक को समझ में आ सके कि किस हद तक अल्लाह ने अपने धर्म की सुरक्षा की है, वह इस प्रकार से कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन के समस्त विवरण को संरक्षित कर दिया, ताकि आपका अनुसरण करना आसान हो सके।

यह सूची इमाम इब्नुल क़य्यिम रह़िमहुल्लाह की पुस्तक "ज़ादुल मआद फ़ी ह़दयि ख़ैरिल इबाद" की है जिसमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उन समस्त तरीकों एवं ढंगों का उल्लेख कर दिया है जो आप की उपासना, व्यवहार, आचरण, शिष्टाचार एवं दैनिक जीवनचर्या से संबंधित हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि इस्लामी शरीअत की यह विशेषता है कि उसने अपने नबी की सीरत को सुरक्षित रखा तथा अत्यंत सूक्ष्म रूप में उसका संरक्षण किया, यह सूची अस्सी (80) से अधिक अध्यायों पर आधारित है जोकि निम्न हैं:

1- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वंशावली का उल्लेख।
2- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लालन-पालन एवं मातृ-पिता की मृत्यु का उल्लेख।

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (5165) व मुस्लिम (1434) ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

3- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनाए जाने एवं वह़्य (प्रकाशना) की श्रेणियों का उल्लेख।
4- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़त्ना।
5- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दुग्धपान कराने वाली महिलाएं।
6- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गोद में खिलाने वाली महिलाएं।
7- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत (दूतत्व) एवं आप पर उतरने वाली सर्वप्रथम वह़्य (प्रकाशना)।
8- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नामों का उल्लेख।
9- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संतानों का उल्लेख।
10- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चाचाओं एवं फूफ़ियों का उल्लेख।
11- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नियों का उल्लेख।
12- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सेवकों का उल्लेख।
13- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए वह़्य लिखने का कार्य करने वालों के नामों का उल्लेख।
14- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उन पत्रों का उल्लेख जो आप ने राजाओं के नाम लिखे।
15- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उन मुअज़्ज़िनों का उल्लेख जो नमाज़ के लिए अज़ान दिया करते थे।
16- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उन अमीरों (गवर्नरों) का उल्लेख जिन्हें आप विभिन्न नगरों में गवर्नर नियुक्त किया करते थे।
17- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए सुरक्षा का कार्य अंजाम देने वालों का उल्लेख।
18- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उन मातहतों का उल्लेख जिनसे वेतन के बदले आप सेवा लेते थे तथा आपके दरबानों का उल्लेख।
19- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कवियों एवं वक्ताओं का उल्लेख।
20- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उन कवियों का उल्लेख जो यात्रा के दौरान आगे बढ़ कर कविता पाठ किया करते थे।

21- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ग़ज़वों एवं सरीय्यों का उल्लेख।
22- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हथियारों एवं साज़ो सामान का उल्लेख।
23- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सवारियों का उल्लेख।
24- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वस्त्र एवं पोशाक का उल्लेख।
25- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अमामह (पगड़ी), तहबंद, जूते-चप्पल एवं अँगूठी इत्यादि का उल्लेख।
26- खाने-पीने से संबंधित आप के ढंग का उल्लेख।
27- विवाह एवं परिवार वालों के संग जीवन जीने के आपके ढंगों का उल्लेख।
28- सोने एवं जागने से संबंधित आपके तौर तरीके का उल्लेख।
29- जानवर की सवारी करने से संबंधित आप के तरीके का उल्लेख।
30- बकरी खरीदने एवं दासों तथा दासियों से व्यवहार करने से संबंधित आपका तरीका।
31- क्रय-विक्रय एवं व्यवहार से संबंधित आपके तौर तरीका का उल्लेख।
32- दौड़ लगाने में आपका तौर तरीका।
33- आपसी व्यवहार में आपका ढंग।
34- अकेले चलने एवं स़हाबा के साथ चलने में आप का तरीका।
35- बैठने एवं टेक लगाने में आप की शैली।
36- मल-मूत्र त्याग के समय आपका तरीका।
37- नैसर्गिक कार्यों को अंजाम देने में आपका तरीका (मूँछ काटना, नाख़ुन काटना, नाभि के नीचे के बालों को साफ करना तथा बग़ल के बाल उखाड़ना इत्यादि)।
38- वार्तालाप एवं शांत रहने के समय आपका ढंग।
39- प्रवचन देते समय आपकी शैली।
40- वुज़ू में आपका तर्ज।
41- नमाज़ में आपका तरीका।
42- यात्रा एवं घर पर रहते समय सुनन -ए- रवातिब (जिस पर बल दिया गया है वो सुन्नतें) तथा नफ़्ल (निवार्य) इबादतों को अदा करने से संबंधित आपका ढंग।
43- तहज्जुद एवं रात्रि जागरण में आपका तरीका।
44- क़ुरआन के पाठ में आपकी शैली।

45- चाश्त की नमाज़ में आपका तरीका।

46- सज्दा -ए- शुक्र (कोई अनुग्रह प्राप्त होने पर किया जाने वाला सज्दह) अदा करने में आपका ढंग।

47- सज्दा -ए- तिलावत को अंजाम देने में आपका तरीका।

48- जुमा की नमाज़ में आपका तरीका।

49- ईद व बकरीद की नमाज़ में आपका तरीका।

50- सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की नमाज़ में आपका तरीका।

51- इस्तिस्क़ा (वर्षा माँगने के लिए पढ़ी जाने वाली) नमाज़ मैं आपका ढंग।

52- यात्रा में तथा यात्रा की इबादत में आपका तौर तरीका।

53- रोगियों को देखने जाने से संबंधित आपका तरीका।

54- जनाज़ा, क़ब्र एवं तअज़ियत (पुरसा) करने में आपका तरीका।

55- भय वाली नमाज़ अदा करने में आपका तरीका।

56- स़दका (निवार्य दान), ज़कात (अनिवार्य दान) एवं धन खर्च करने में आपका तरीका।

57- रोज़ा से संबंधित आपका तरीका।

58- ह़ज्ज एवं उमरह को अदा करने में आपका ढंग।

59- जानवर ज़ब्ह़ करने से संबंधित आपका तौर तरीका।

60- बच्चा का नाम रखने एवं उसका ख़त्ना करने से संबंधित आप का तौर तरीका।

61- नामों एवं उपाधियों से संबंधित आपकी शैली।

62- मुत़लक़ एवं मुक़य्यद (निश्चित एवं अनिश्चित) अज़कार (जापों) से संबंधित आपका तरीका।

63- सलाम (अभिवादन) से संबंधित आपका तरीका।

64- अनुमति लेने से संबंधित आपका ढंग।

65- छींकने एवं जम्हाई लेने से संबंधित आपका तरीका।

66- क्रोध के समय आपका तौर तरीका।

67- जिहाद एवं ग़ज़्वों में आपका तौर तरीका।

68- युद्ध की तैयारी करने एवं युद्ध में लड़ने वाले हथियारों के चयन में आप का तरीका।

69- क़ैदियों के साथ बर्ताव करने में आप का तरीका।

70- वादा करने, संधि करने, काफिरों के प्रतिनिधि मंडलों के संग व्यवहार करने, जिज़्या (टेक्स) लेने तथा अहले किताब एवं मुनाफ़िक़ों के साथ व्यवहार करने में आप का तौर तरीका।

71- ज़िम्मी (मुस्लिम देशों में रहने वाले ग़ैर-मुस्लिम) से संधि करने तथा ग़ैर-मुस्लिमों से जिज़्या लेने में आप का तरीका।

72- बादशाहों के साथ पत्राचार करने में आप का ढंग।

73- हार्दिक रोगों तथा शारीरिक रोगों का उपचार करने में आप का तरीका, जैसेः बुख़ार, पेचिश, ताऊन (प्लेग), मानसिक रोग, घाव, हजामत (कप्पिंग), मिर्गी, सिर दर्द एवं चक्कर, खुजली, आँख में जलन, सूजन एवं पीप, ज़हर, फुंसी तथा (सर्प इत्यादि के) डसने जैसी बीमारियों का उपचार।

74- दुःख एवं ग़म तथा बेचैनी से संबंधित आपका तरीका।

75- आपदाओं से निपटने का आपका तरीका।

76- स्वास्थ सुरक्षा से संबंधित आपका तौर तरीका।

77- रहने की व्यवस्था करने से संबंधित आपका तरीका।

78- निद्रा एवं जागरण से संबंधित आपका तौर तरीका।

79- कसरत से संबंधित आपका ढंग।

80- सहवास एवं संभोग से संबंधित आपका तौर तरीका।

81- इश्क एवं प्रेम के उपचार से संबंधित आपका तरीका।

82- विभिन्न मुद्दों में निर्णय सुनाने एवं आदेश पारित करने से संबंधित आपका तरीका, जैसेः चोरी, व्यभिचार, क़ैदी, ग़नीमत के माल का बंटवारा, जादूगर का दण्ड, विवाह, तलाक़, ख़ुलअ, वंश एवं कुल, बच्चे के लिए माता-पिता के मध्य क्लेश की स्थिति में उसे गोद में देने का मसला, खर्चा-पानी, दुग्धपान, (पति-पत्नी का एक दूसरे के लिए) स्वच्छता एवं क्रय-विक्रय।

"ज़ादुल मआद फ़ी हदयि ख़ैरिल इबाद" की सूची समाप्त हुई।

46- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **इसके अनुयायियों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करना सरल है**। चाहे यह आस्था के संबंध में

हो अथवा वंदना के संबंध में, व्यवहार के संबंध में हो अथवा आचार एवं शिष्टाचार के संबंध में, क्योंकि आपके द्वारा अंजाम दिए गए समस्त कर्म सुरक्षित हैं, समस्त प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं जिसने इस धर्म के अनुसार कर्म करना सहज कर दिया।

47- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पूर्व जो अंबिया गुजरे हैं, विशेष रूप से उच्च कोटी की हिम्मत रखने वाले अंबिया -ए- किराम अलैहिमुस्सलाम, उनकी महत्वपूर्ण शिक्षाएं एवं आदेश इस शरीअत में सुरक्षित कर दी गई हैं।** इस्लामी शरीअत ने जिन नबियों की सीरत (जीवनी) को सुरक्षित रखा है उनमें आदम, नूह, स़ालेह़, शुऐब, इब्राहीम, इस्माईल, इस्ह़ाक़ एवं इस्ह़ाक़ के वंश से बनने वाले अंबिया -ए- किराम अलैहिमुस्सलाम शीर्ष पर हैं। इस्लाम ने यअक़ूब (इस्राईल) बिन इस्ह़ाक़ की जीवनी को सुरक्षित रखा, उनके पुत्र यूसुफ अलैहिस्सलाम की जीवनी को अत्यंत सूक्ष्म ढंग से सुरक्षित रखा एवं अस्बात़ की ओर इशारा किया, अर्थात उनके पिता यअक़ूब अलैहिस्सलाम का वंश, जिनकी संख्या बारह है, तथा अति सम्माननीय नबियों की जीवनी का विशेष ध्यान रखा अर्थात मूसा एवं ईसा अलैहिमस्सलाम, इन दोनों की जीवनी के उल्लेख पर विशेष ध्यान दिया, उनकी दावत के मार्ग में पेश आने वाली कठिनाईयों से पर्दा उठाया ताकि यअक़ूब (इस्राईल) के वंश से चलने वाली उम्मत (समुदाय) के समक्ष सत्य स्पष्ट हो सके, जो संख्या बल के आधार पर सबसे बड़ी उम्मत है, इसी प्रकार से इस्लामी शरीअत ने लूत़ अलैहिस्सलाम की जीवनी को भी सुरक्षित रखा जोकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे।

संक्षेप में यह कि क़ुरआन एवं ह़दीस़ में पचीस नबियों की ओर इशारा किया गया है, उनकी दावत की सत्यता को स्पष्ट किया गया है, उनका समर्थन किया गया है तथा उन पर ईमान रखने को इस्लाम के ईमान के अरकान (स्तंभ) में गिना गया है जिनके द्वारा इस्लाम पूर्ण होता है।

* * *

शरीअत की वो विशेषताएं जिनका संबंध शक्ति व प्रभुत्व तथा सम्मान एवं गरिमा से है।

48- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **जो व्यक्ति इसे चैलेंज करे उस पर यह प्रभुत्व पा लेती है तथा जो इससे मुकाबला करे उसे विवश एवं निरुत्तर कर देती है।** यही कारण है कि कोई व्यक्ति क़ुरआन की किसी एक आयत अथवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की किसी एक ह़दीस़ को गलत प्रमाणित नहीं कर सका, न ही कोई व्यक्ति क़ुरआन की आयात (श्लोकों) जैसी कोई एक आयत ही पेश कर सका। कोई भी व्यक्ति ऐसी शिक्षा नहीं पेश कर सकता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षा के समान हो अथवा उसके निकट भी हो, अल्लाह तआला ने क़ुरआन के विषय में बिल्कुल सही फ़रमायाः

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

अनुवादः (यदि वह अल्लाह के सिवा दूसरे की ओर से होता तो उसमें बहुत सी प्रतिकूल - बेमेल- बातें पाते)। सूरह निसाः 82।

49- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **यह सभी चुनौतियों के समक्ष स्थिर, अनवरत जारी एवं सिद्ध रहने वाली है**, यद्यपि इस पर निरंतर हमले क्यों न हों, तथा प्रत्येक युग में शत्रु इसके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों न करते रहें, इस्लामी शरीअत में न गिरावट आई और न ही परिवर्तन, मनुष्य के स्व-निर्मित कानूनों के विपरीत, कि वे अस्थायी हैं, वे लगातार बदलते रहते हैं तथा शाश्वत विनाश की ओर बढ़ रहे हैं।

ऐतिहासिक रूप से इस्लामिक शरीअत के स्थायित्व एवं स्थिरता का एक प्रमाण यह है कि यह बौद्धिक विचलन के सामने अडिग रही है, उदाहरण स्वरूपः ईसाई धर्म की लहर जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना एवं उन्हें सलीब (क्रॉस) की पूजा करने के लिए राजी करना है। यद्यपि ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाले देशों के पास अपार संभावनाएं हैं, तथापि इस्लाम में धर्मांतरित होने वालों का प्रतिशत ईसाई धर्म एवं अन्य विकृत धर्मों और मानव धर्मों को स्वीकार करने वालों की तुलना में बहुत अधिक है।

इतिहास में इस्लामी शरीअत की स्थिरता का एक प्रमाण यह भी है कि वह धर्मनिरपेक्षता की लहर के सामने अडिग रही, जिसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों से धर्म को बाहर कर के बंदा का केवल अपने रब के साथ संबंध तक सीमित करना है।

इतिहास में इस्लामी शरीअत की स्थिरता का एक प्रमाण यह भी है कि यह बाथवाद एवं राष्ट्रवाद की लहरों के सामने भी अडिग रही यहां तक कि ये लहरें शांत हो गईं।

इतिहास में इस्लामी शरीअत की स्थिरता का एक प्रमाण यह भी है कि यह हिंसा और अव्यवस्था जैसी लहरों के आगे पहाड़ बनकर जमी रही, जिनका उद्देश्य कुछ इस्लामिक देशों के शासकों को अपदस्थ करना था, ताकि इन लहरों के वाहक वहां की सरकार पर कब्ज़ा करने में सक्षम हो जाएं, तथा अपने कथित गुमान के आधार पर इन देशों को अपने अनुसार शांत एवं समृद्ध देशों में परिवर्तित कर सकें, संसार ने देखा कि जिन देशों में उन्होंने अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया, वहां इन निराधार लहरों का यह प्रभाव पड़ा कि स्थिति बद से बदतर हो गई, मुहर्रमात (वर्जनाओं) को मुबाह़ (वैध) ठहराया गया, खून की नदी बहाई गई, मान-सम्मान का मर्दन हुआ, तथा काफिर मुसलमानों की इस दुर्दशा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और इसे "बहार (वसंत)" का नाम दे दिया! उन देशों को छोड़कर जिनके निवासी इस्लाम धर्म का पालन करने वाले हैं, वे इन विनाशकारी लहरों के सामने पहाड़ की तरह खड़े हो गए, जिसके परिणामस्वरूप देश भी सुरक्षित रहा और देश के निवासी भी सुरक्षित रहे।

50- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **वह क़यामत तक बाकी रहने वाली है।** मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "मेरी उम्मत का एक समूह सदा अल्लाह के आदेश पर स्थिर रहेगा, जो व्यक्ति उनकी सहायता से दूर होगा अथवा उनका विरोध करेगा वो उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का आदेश आ जाए, और वह हमेशा लोगों पर हावी रहेगा"।[1]

---

[1] इसे बुख़ारी (3641) व मुस्लिम (1037) ने रिवायत किया है, तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

51- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **अल्लाह तआला ने इसके मानने वालों से सहायता एवं प्रभुत्व का वादा किया है**, सर्वोच्च अल्लाह का कथन हैः

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

अनुवादः (निश्चय हम सहायता करेंगे अपने रसूलों की तथा उन की जो ईमान लाएं, सांसारिक जीवन में तथा जिस दिन साक्षी खड़े होंगे)। सूरह ग़ाफ़िर/मूमिनः 51।

एक स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन हैः

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز

अनुवादः (लिख रखा है अल्लाह ने कि अवश्य मैं प्रभावशाली (विजयी) रहूँगा तथा मेरे रसूल, वास्तव में अल्लाह अति शक्तिशाली प्रभावशाली है)। सूरह मुजादिलहः 21।

इसके अतिरिक्त एक स्थान पर अल्लाह फ़रमाता हैः

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

अनुवादः (अल्लाह ने वचन दिया है उन्हें जो तुम में से ईमान लाएं तथा सुकर्म करें कि उन्हें अवश्य धरती में अधिकार प्रदान करेगा, जैसे उन्हें अधिकार प्रदान किया जो इन से पहले थे, और अवश्य सुदृढ़ कर देगा उन के उस धर्म को जिसे उन के लिए पसंद किया है, तथा उन (की दशा) को उन के भय के पश्चात शांति में बदल देगा, वह मेरी इबादत (वंदना) करते रहें और किसी चीज़ को मेरा साझी न बनाएं)। सूरह नूरः 55।

एक स्थान पर अल्लाह तआला का कथन कुछ यों हैः

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِين إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُون

अनुवादः (और पहले ही हमारा वचन हो चुका है अपने भेजे हुए भक्तों के लिए। कि निश्चय उन्हीं की सहायता की जायेगी। तथा वास्तव में हमारी सेना ही प्रभावशाली (विजयी) होने वाली है)। सूरहः स़ाफ़्फ़ातः 171-173।

अल्लाह तआला ने इस्लाम को प्रभुत्व प्रदान करने का वादा करते हुए फ़रमायाः

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون

अनुवादः (वही है जिसने भेजा है अपने रसूल को संमार्ग तथा सत्धर्म के साथ ताकि प्रभावी कर दे उसे प्रत्येक धर्म पर चाहे बुरा लगे मुश्रिक को)। सूरह स़फ़्फ़ः 9।

एक दूसरी आयत में अल्लाह का कथन हैः

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا[1]

अनुवादः (वही है जिसने भेजा अपने रसूल को मार्गदर्शन तथा सत्धर्म के साथ ताकि उसे प्रभुत्व प्रदान कर दे प्रत्येक धर्म पर तथा पर्याप्त है (इस पर) अल्लाह का गवाह होना)। सूरह फ़त्ह़ः 28।

52- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **जिन राष्ट्रों एवं समुदायों ने इसे लागू किया, अल्लाह ने उन्हें लोक परलोक में सौभाग्यशालिता प्रदान करने का वादा किया है**, ताकि वह संसार में अमन व शांति तथा आदर सम्मान के साथ समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें एवं आख़िरत में उनके लिए महा पुण्य का वादा किया है। परंतु जो समुदाय एवं राष्ट्र अल्लाह की शरीअत से विमुखता प्रकट करेगा उसे आपदा एवं विनाश का सामना करना पड़ेगा, भले वह अत्यंत शक्तिशाली एवं विद्रोही क्यों न हो। सामयिक वास्तविकता भी इस की गवाही

---

[1] फ़ायदाः शैख़ अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुहसिन तुर्की ह़फ़िज़हुल्लाह कहते हैं किः इस्लाम धर्म को समस्त दर्मों पर प्रभुत्व अल्लाह की ओर दावत देने का कार्य करने के द्वारा होगा, जिसके लिए इस युग में सही ढंग से योजना बनाने एवं उचित माध्यम अपनाने की आवश्यकता है और उस वास्तविकता को जानने की जरूरत है कि किस प्रकार से लोग इस्लामी समाजों के अंदर और बाहर रहते हैं, तथा हृदयों एवं आत्माओं को सुधारने हेतु ऐसे योग्य दाइयों (प्रचारकों) को तैयार करन की आवश्यकता है जो लोगों के बीच अल्लाह के धर्म को फैला सकें। (ह़क़ूक़ुल इंसान फ़िल इस्लाम) पृष्ठः 3-4।

देती है, जब पहले के लोगों ने इस वास्तविकता को समझा तथा शरीअत को लागू किया तो आठ शताब्दियों तक इस धरा पर इस्लामी सभ्यता का ध्वज लहराता रहा, तथा उन्हें अल्लाह तआला का यह इनाम मिलाः

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

अनुवादः (अल्लाह ने वचन दिया है उन्हें जो तुम में से ईमान लाएं तथा सुकर्म करें कि उन्हें अवश्य धरती में अधिकार प्रदान करेगा, जैसे उन्हें अधिकार प्रदान किया जो इन से पहले थे, तथा अवश्य सुदृढ़ कर देगा उन के उस धर्म को जिसे उन के लिए पसंद किया है, तथा उन (की दशा) को उन के भय के पश्चात शांति में बदल देगा, वह मेरी इबादत (वंदना) करते रहें और किसी चीज़ को मेरा साझी न बनाएं)। सूरह नूरः 55।

किंतु जब उन्होंने अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट किया और इस धर्म से दूर होते गए तो अल्लाह ने उन से सरदारी एवं शासन छीन लिया तथा उन पर शत्रुओं को प्रभुत्व दे दिया जैसाकि आज हम इसका अवलोकन कर रहे हैं।

53- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **इसके अनुयायी समस्त समुदायों से उत्तम हैं**, अल्लाह तआला का कथन हैः

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

अनुवादः (तुम सबसे अच्छी उम्मत हो जिसे सब लोगों के लिए उत्पन्न किया गया है कि तुम भलाई का आदेश देते हो तथा बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान (विश्वास) रखते हो)। सूरह आले इमरानः 110।

बह्ज़ बिन ह़कीम "عن ابیہ عن جدہ अन अबीहि अन जद्दिहि" अपने पिता और अपने दादा से वर्णित करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला के

कथनः (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) की व्याख्या करते हुए सुना कि आपने फ़रमायाः “तुम सत्तर उम्मतों को पूर्ण करने वाले हो, तुम अल्लाह के निकट उन सबसे उत्तम एवं सबसे सम्मानित हो”।[1]

54- इस्लामी शिक्षाओं की एक विशेषता यह है कि **इसका विरोध करने वाला हर कथन निराधार है**, जो मुकाबला के समय सत्य के समक्ष टिक नहीं सकता, अल्लाह तआला का फ़रमान हैः وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ अनुवादः (तथा कहिये कि सत्य आ गया एवं असत्य ध्वस्त हो गया, वास्तव में असत्य को ध्वस्त निरस्त होना ही है)। सूरह इस्राः 81 ।

एक स्थान पर फ़रमायाः قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ अनुवादः (आप कह दें कि सत्य आ गया एवं असत्य न (कुछ का) आरंभ कर सकता है और न (उसे) पुनः ला सकता है)। सूरह सबाः 49 ।

अर्थातः उसका मामला मृत एवं अर्थहीन हो जायेगा तथा उसका वैभव समाप्त हो जायेगा, अतः वह न पहले कुछ कर सका और न बाद में कुछ कर सकेगा।[2]

55- इस्लामी शरीअत की विशेषताओं में से एक यह है कि **जो कोई भी इससे शत्रुता मोल लेता है, उसे अंततः हार और अपमान का सामना करना पड़ता है**, चाहे वे सत्तासीन लोग हों, अथवा मंसबों एवं पदों पर बैठे हुए लोग, या बौद्धिक विचलन और पूर्वाग्रह के वाहक हों। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने कहाः

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأَذَلِّين كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز

---

(1) इस हदीस़ को तिर्मिज़ी (3001), इब्ने माजह (4288), अहमद (5/3) एवं बैहिक़ी (9/5) ने रिवायत किया है, एवं “मुस्नद अहमद” के अन्वेषकों ने एवं अलबानी ने इसे ह़सन करार दिया है।

(2) यह इब्ने सअदी रहिमहुल्लाह का कथन है जो उन्होंने उपरोक्त आयत की तफ़्सीर में लिखा है।

अनुवादः (वास्तव में जो विरोध करते हैं अल्लाह तथा उसके रसूल का वही अपमानितों में से हैं। लिख रखा है अल्लाह ने कि अवश्य मैं प्रभावशाली (विजयी) रहूँगा तथा मेरे रसूल, वास्तव में अल्लाह अति शक्तिशाली प्रभावशाली है)। सूरह मुजादलहः 20-21।

अल्लाह ने सच कहा! साम्यवाद का क्या हुआ? राष्ट्रवाद और बाथवाद वाले कहां गए? ये सारी लहरें समाप्त हो चुकी हैं, इसके विपरीत चौदह शताब्दियों की चुनौतियों के बावजूद क्या इस्लाम गायब हो गया? क्या क्रूसेड (धर्मयुद्ध) के प्रभाव से इस्लाम को कोई क्षति हुई? और क्या इस्लाम यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रभाव से मिट गया? क्या ईराक पर तातार के आक्रमणों ने इस्लाम को मलियामेट कर दिया? अह़वाज़ और इराक पर राफ़िज़ी हमले से इस्लाम लुप्त हो गया? धर्मनिरपेक्षता के बौद्धिक हमले से प्रभावित होकर इस्लाम का वजूद खत्म हो गया? नहीं, अल्लाह की क़सम! उसकी दृढ़ता और ठोस हो गई। अल्लाह तआला ने सच फ़रमाया हैः

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

अनुवादः (तथा कहिये कि सत्य आ गया एवं असत्य ध्वस्त हो गया, वास्तव में असत्य को ध्वस्त निरस्त होना ही है)। सूरह इस्राः 81।

56- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **यह बीते हुए लोगों और सभ्यताओं का स्मरण कराती है**, ताकि उन से शिक्षा एवं सीख ली जा सके, और ये उनके लिए मान-सम्मान प्राप्त करने का स्रोत साबित हों। क़ुरआन -ए- करीम की विभिन्न आयतों में यह स्मरण कराया गया है कि इन राष्ट्रों की स्थापना कैसे हुई, ताकि यह उम्मत भी उनके नक्शेकदम पर चले, इसके अतिरिक्त उन राष्ट्रों को भी याद दिलाया गया है जो नष्ट एवं नाश हो गए और उन्हें कैसे नष्ट किया गया ताकि लोग उनके मार्ग पर चलने से बचें।

इसी श्रेणी में यह भी आता है कि नूह, आद एवं स़मूद के समुदायों, अस़हाब अल-अयका एवं लूत समुदाय की घटनाएं, फ़िरऔन, क़ारून एवं हामान के किस्से बार-बार बयान किये गये हैं, और बहुतेरी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। क़ुरआन ने बनी इस्राईल के बहुत से किस्से एवं उनके उपद्रव के परिणाम का उल्लेख किया है। क़ुरआन ने ऐसे राष्ट्रों के अनके किस्से बयान किए हैं जिन्होंने उद्दंडता की तो अल्लाह ने उनका नाश कर दिया, जबकि वो अल्लाह की नियामतों में पल रहे थे, इसी प्रकार से उनके बुरे अंजामों पर सोच-विचार करने एवं उनके किस्सों

में चिंतन-मनन तथा उन से लाभान्वित होने के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि लोग सफलता के मार्ग को जान सकें और उसका अनुसरण कर सकें तथा इस्लामी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखें, साथ ही साथ उद्दंडता, भ्रष्टाचार और विद्रोह का मार्ग भी जान सकें ताकि इससे बचने का प्रयास करें, अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

अनुवादः (क्या वे धरती में चले फिरे नहीं ताकि देखते कि उनका परिणाम क्या हुआ जो इन से पहले थे?)। सूरह यूसुफ़ः 109।

एक दिलचस्प बात यह भी है कि क़ुरआन ने तेरह स्थानों पर पिछले लोगों के अंजाम पर विचार करने के लिए लोगों को पृथ्वी पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया है।

* * *

शरीअत की वो विशेषताएं जिनका संबंध शांति व सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से है

57- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **वह स्वास्थय देखभाल पर विशेष ध्यान देती है**, इसका एक उदाहरण यह है कि इसने भोजन वाले बर्तनों को ढांक कर रखने का आदेश दिया है ताकि इंसान संक्रमण से बच सके। इस विषय में विभिन्न ह़दीसें वर्णित हैं, जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह ह़दीस़ भी हैः "बर्तनों को ढांक दो, मश्कीज़ा का मुँह बंद कर दो, दरवाज़ा बंद करो तथा चिराग़ बुझा दो, क्योंकि शैतान मश्कीज़ा का मुँह नहीं खोलता, वह (बंद) द्वार नहीं खोलता, किसी बर्तन को भी नहीं खोलता है। यदि तुम में से किसी को इसके सिवा कोई चीज़ नहीं मिले कि वह अपने बर्तन पर चौड़ाई में लकड़ी ही रख दे तथा उस पर अल्लाह का नाम (बिस्मिल्लाह) पढ़ दे तो (कम से कम यही) कर ले, क्योंकि चुहिया घर वालों के ऊपर (जब वह सो रहे होते हैं) उनका घर जला देती है"।[1]

ह़दीस़ की व्याख्याः[2] अधिकांश समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसे मामलों के बारे में चेतावनी देते थे जो सामान्य शांति और सुरक्षा से संबंधित होते थे, जिसका उद्देश्य किसी भी नुकसान से बचने या कुछ लाभ प्राप्त करना होता था। यही कारण है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सभी नसीहतें केवल आख़िरत से संबंधित नहीं होती थीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के लिए दुनिया और आख़िरत दोनों की भलाई का वर्णन किया करते थे।

इस ह़दीस़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के प्रति भलाई की कामना करते हुए कहते हैं किः "बर्तनों को ढांक दो" अर्थातः हर बर्तन के ऊपर जिसमें खाने-पीने की कोई वस्तु हो, ढक्कन रख दो। "मश्कीज़ा का मुँह बंद कर दो" अर्थातः उसका मुँह बंद कर के रखो। इससे अभिप्राय वह बर्तन है जिसमें जल अथवा दूध इत्यादि रखा जाता है, उदाहरण स्वरूप मटके के समान बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है। इसका उद्देश्य यह है किः मश्कीज़ा का

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (3280) एवं मुस्लिम (2012) ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

[2] यह व्याख्या (अल-दुरर अल-सनिय्यह) वेबसाइट से उद्धृत है।

मुँह बंद रखो ताकि उसमें जो पानी इत्यादि हो वह सुरक्षित रहे, एक दूसरी रिवायत में आया हैः "बर्तन को उल्टा कर के रखो" अर्थातः बर्तन को औंधे मुँह कर दो और उसका मुँह नीचे कर दो, और ऐसा उस समय जब यह खाली हो। एक अन्य रिवायत में है किः "बर्तन को ढाँप कर रखो" अर्थातः किसी वस्तु से बर्तन को ढाँप कर रखो।

इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसके कारण का उल्लेख किया औ स्पष्ट किया कि शैतान को जब कोई मश्कीज़ा बंद मिलता है तो वह उसे खोल नहीं सकता, इसी तरह जब शैतान किसी द्वार को बंद पाता है तो उसे भी नहीं खोलता, और जब किसी बर्तन को ढंका हुआ पाता है तो उसे भी नहीं छूता।

यदि व्यक्ति के पास ढाँपने के लिए कोई वस्तु न हो तो उस पर कोई भी चीज़ रख दे, यद्यपि चटाई बुनने वाली लकड़ी ही रख दे, या लाठी या इसी प्रकार की कोई और वस्तु, साथ ही उस बर्तन पर अल्लाह का नाम ले। संक्षेप में उनका उद्धरण समाप्त हुआ।

इस्लामी शरीअत में मानव के शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान रखने का एक प्रमाण यह भी है कि इसने मश्कीज़ा में मुँह लगा कर पानी पीने से रोका है, ताकि रोग न फैले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है कि आप ने मश्कीज़ा में मुँह लगा कर पानी पीने से मना किया है।[1]

58- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **इसने रोगों के उपचार के लिए प्रोत्साहित किया है**, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "तुम्हारे शरीर का तुम पर अधिकार है"।[2] एक स्थान पर फ़रमायाः "अल्लाह के बंदो! उपचार करो, इसलिए कि अल्लाह ने जो रोग उत्पन्न किया है उसका उपचार भी अवश्य पैदा किया है, सिवाय एक बीमारी

---

(1) इस ह़दीस़ को बुख़ारी (5628) (5629) ने अबू हुरैरा एवं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

(2) इस ह़दीस़ के संदर्भ का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।

के, लोगों ने पूछाः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! वह कौन सी बीमारी है? तो आप ने फ़रमायाः बुढ़ापा"।[1]

इब्नुल क़य्यिम रह़िमहुल्लाह की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने बहुतेरी बीमारियों के इलाज के संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ह़दीस़ों को संग्रहित किया है, तथा "ति़ब्बे नबवी (नबवी उपचार)" के नाम से इसका नामकरण किया है।

59- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **वह पर्यावरण एवं वातावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है**, इसीलिए इस्लाम ने हानिकारक चीज़ों को रास्ते से हटाने के लिए प्रोत्साहित किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया किः मार्ग से कष्टदायक वस्तुओं को हटा देना स़दक़ा (दान) है, तथा आपने दरवाज़ों को बंद रखने एवं चिराग़ों को बुझाने के लिए प्रेरित किया है ताकि आग न लगे। इसका प्रमाण पूर्वोल्लेखित ह़दीस़ है जिसमें ये वाक्य वर्णित हैं: "बर्तनों को ढांक दो, मश्कीज़ा का मुँह बंद कर दो, दरवाज़ा बंद करो तथा चिराग़ बुझा दो, क्योंकि शैतान मश्कीज़ा का मुँह नहीं खोलता, वह (बंद) द्वार नहीं खोलता, किसी बर्तन को भी नहीं खोलता है। यदि तुम में से किसी को इसके कोई चीज़ नहीं मिले कि वह अपने बर्तन पर चौड़ाई में लकड़ी ही रख दे तथा उस पर अल्लाह का नाम (बिस्मिल्लाह) पढ़ दे तो (कम से कम यही) कर ले, क्योंकि चुहिया घर वालों के ऊपर (जब वह सो रहे होते हैं) उनका घर जला देती है"।[2]

ह़दीस़ की व्याख्याः[3] अधिकांश समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसे मामलों के बारे में चेतावनी देते थे जो सामान्य शांति और सुरक्षा से संबंधित होते थे, जिसका उद्देश्य किसी भी नुकसान से बचने या कुछ लाभ प्राप्त करना होता था। यही कारण है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सभी नसीहतें केवल आख़िरत से संबंधित नहीं होती थीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के लिए दुनिया और आख़िरत दोनों की भलाई का वर्णन किया करते थे।

---

[1] इस ह़दीस़ को तिर्मिज़ी (2038) ने उसामा बिन शरीक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है तथा अलबानी रह़िमहुल्लाह ने इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

[2] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (3280) एवं मुस्लिम (2012) ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

[3] यह व्याख्या (अल-दुरर अल-सनिय्यह) वेबसाइट से उद्धृत है।

इस ह़दीस़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दरवाज़ों को बंद रखने का आदेश दिया है तथा रात्रि के समय उन्हें खुला छोड़ने से मना किया है, इसी प्रकार से दीपकों को बुझाने का हुक्म दिया है, अतः इंसान को सोने के पूर्व चिराग़ों को बुझा देना चाहिए। इसका कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बताया है कि शैतान जब द्वार को बंद पाता है तो उसे नहीं खोलता।

60- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह भी है कि **वह वातावरण की साफ-सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखती है**, इसीलिए इस्लाम गंदगी फैलाने से मना करता है, इसका प्रमाण जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ह़दीस़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना किया है।[1]

इस रोक के पीछे हिकमत (तत्वज्ञान) यह है कि पानी में गंदगी न जाए तथा स्थान भी साफ सुथरा रहे ताकि उससे लाभांवित होना संभव हो सके।

इस्लामी शरीअत ने पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया है, इसका एक तर्क यह भी है कि इसने किसी व्यक्ति को लोगों के रास्ते में या किसी छायादार स्थान पर जहां लोग आराम करते हों, शौच करने से मना किया है, क्योंकि इससे उन्हें कष्ट पहुँचेगा तथा वह उस स्थान से लाभ उठाने से वंचित हो जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "तुम दो अत्यंत लानत (धिक्कार) वाले कार्यों से बचो" स़ह़ाबा ने पूछाः हे अल्लाह के रसूल! अत्यंत लानत वाले वो दो कार्य कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जो व्यक्ति लोगों के मार्ग में अथवा छायादार स्थान पर (जहाँ वो विश्राम करते हों) शौच करता है (तो लोग इन दोनों कार्यों पर उस को बड़ी लानत भेजते हैं)"।[2]

❊❊❊

[1] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (269) ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

[2] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (269) ने रिवायत किया है।

शरीअत की वो विशेषताएं जो गैर-इंसानों से संबंधित हैं - फ़रिश्ते, जिन्न और मवेशी

61- इस्लामिक शरीअत की एक विशेषता यह है कि **यह फरिश्तों के अधिकारों का सम्मान करती है**, इसका एक उदाहरण यह है कि पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस व्यक्ति को मस्जिद में प्रवेश करने से मना किया है जिसने लहसुन या प्याज खाया हो, ताकि फ़रिश्तों और नमाज़ियों को तकलीफ़ न हो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जिसने इस वन्सपति (अर्थातः प्याज़, लहसुन एवं गन्दना[1]) में से कुछ खाया हो वह हरगिज़ हमारी मस्जिद के निकट न आए, निस्संदेह फ़रिश्ते भी उस वस्तु से कष्ट महसूस करते हैं जिससे मानव को कष्ट का अनुभव होता है"।[2]

62- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **इसने जिन्नातों के अधिकारों का भी ध्यान रखा है**, इसका एक उदाहरण यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इंसान को इस बात से रोका है कि वह हड्डी से इस्तिंजा करे। इस्तिंजा से अभिप्राय यह है कि मल-मूत्र त्याग के पश्चात पत्थर अथवा उसी के समान कोई चीज़ जैसे टिश्यु पेपर इत्यादि से आगे-पीछे के गुप्तांगों को साफ करे, तथा हड्डी से अभिप्राय वह हड्डियां हैं जो खाने के बाद बच जाती हैं, क्योंकि उन हड्डियों पर भरपूर तरीके से हमारे जिन्नात भाइयों के लिए मांस चढ़ा दिया जाता है, और यदि इंसान उन हड्डियों से इस्तिंजा कर ले तो उनके लिए उन्हें अपवित्र कर देता है।

इसी प्रकार से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पवित्र गोबर से भी इस्तिंजा करने से रोका है, इससे अभिप्राय उन पशुओं का गोबर है जिनका मांस खाना वैध है, क्योंकि वह हमारे जिन्नात भाइयों का भोजन एवं तोशा (पाथेय) है, यदि इंसान उससे इस्तिंजा कर ले तो उसे गंदा कर देता है।

---

[1] गन्दनाः प्याज के प्रकार की एक वनस्पति होती है। अनुवादक।

[2] इस ह़दीस़ को नसई (707) ने रिवायत किया है तथा अलबानी ने इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

इसके अतिरिक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कोयला से इस्तिंजा करने से भी रोका है, क्योंकि जिन्नात उसे खाना बनाने एवं गर्मी प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, यदि इंसान उससे इस्तिंजा कर ले तो उसे अपवित्र कर देता है।

उपरोक्त बातों का तर्क अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित ह़दीस़ है, वह कहते हैं किः "जिन्नातों का एक समूह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ तथा उन्होंने कहाः हे मुह़म्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! अपनी उम्मत को मना कर दीजिए कि वो हड्डी अथवा गोबर अथवा कोयला से इस्तिंजा करें क्योंकि सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उन में हमारा भोजन रखा है। अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे रोक दिया"।[1]

इस ह़दीस़ में इस्तिंजा से अभिप्राय यही है कि व्यक्ति पेशाब-पाख़ाना वाले स्थान को इन चीज़ों से साफ करे।

इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से ही वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "मेरे पास जिन्नातों की ओर से आमंत्रण देने वाला आया तो मैं उनके साथ गया और मैंने उनके सामने क़ुरआन का पाठ किया। उन्होंने कहाः फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हमें ले कर गए तथा हमें उनके पाँव के निशान एवं उनकी आग के निशान दिखाए, जिन्नातों ने आप से तोशा (भोजन) का प्रश्न किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारे लिए वह हड्डी है जिस (के जानवर) पर अल्लाह का नाम लिया गया हो और वह तुम्हारे हाथ लग जाए, (उस पर लगा हुआ) मांस जितना अधिकाधिक हो तथा पशुओं की लीद तुम्हारे जानवरों का चारा है। इसके पश्चात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (इंसानों से) फ़रमायाः तुम इन दोनों चीज़ों से इस्तिंजा न किया करो क्योंकि ये दोनों तुम्हारे (धार्मिक) भाइयों (जिन्नातों एवं उनके पशुओं) का भोजन हैं"।[2]

63- इस्लामी शरीअत की एक विशेषता यह है कि **वह चौपायों के अधिकारों की रक्षा करती है**, अतः इस्लामी शरीअत ने उनके संग विनम्रता से पेश आने का आदेश दिया है, उन

[1] इस ह़दीस़ को अबू दावूद (39) ने रिवायत किया है तथा अलबानी कर ने इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

[2] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (450) ने रिवायत किया है।

पर क्षमता से अधिक बोझ लादने से रोका है, उन्हें खिलाने-पिलाने के लिए प्रेरित किया है, तथा उस पर महा पुण्य का वादा किया है, उन्हें बांध कर रोके रखने, सज़ा देने एवं उन्हें आपस में लड़ाने से रोका है, तथा इस पर महा पाप की चेतवानी दी है। इस संबंध में बहुतेरी ह़दीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित हैं।

शरीअत ने जानवरों को ज़ब्ह़ करते समय उनके साथ नम्रता बरतने का आदेश दिया है, अतः आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "जब तुम ज़ब्ह़ करो तो अच्छे से ज़ब्ह़ करो"।[1]

जानवरों के अधिकारों में उन्हें खिलाना पिलाना तथा उनका ध्यान रखना भी सम्मिलित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था कि उसे तीव्र प्यास लगी, उसने एक कुआँ देखा तो उसमें उतरा और अपनी प्यास बुझाई। बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता हाँफ रहा है और प्यास की तीव्रता के कारण मिट्टी चाट रहा है, उस व्यक्ति ने सोचा कि इसको भी उसी तरह से प्यास लगी है जिस तरह से मुझे लगी थी, अतः वह कुआँ में उतर पड़ा और अपना मोज़ा पानी से भरा तत्पश्चात उसने कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह तआला ने उसका यह कृत्य स्वीकार कर लिया तथा उसे क्षमा कर दिया। लोगों ने प्रश्न कियाः हे अल्लाह के रसूल! क्या जानवरों की सेवा में भी हमारे लिए पुण्य है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः प्रत्येक जीवित जिगर (यकृत) की सेवा में पुण्य है"।[2]

अर्थात हर वह जीवित जिगर जिसे पानी की आवश्यकता हो, उसे पानी पिलाने पर पुण्य प्राप्त होग, चाहे वह जानवर हो अथवा इंसान, क्योंकि यदि पानी न मिले तो जिगर सूख जायेगा जिससे जानदार की मृत्यु हो जायेगी।

---

[1] इस ह़दीस़ के संदर्भ का पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है।

[2] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (2466) व मुस्लिम (2244) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, तथा उपरोक्त शब्द बुख़ारी द्वारा वर्णित हैं।

एक दूसरी ह़दीस़ में है: "जब कोई मुसलमान पौधा लगाता है अथवा खेती करता है और उसमें से कोई पक्षी, मनुष्य या जानवर खाता है, तो उसे दान करने का पुण्य मिलता है"।[1]

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "जब तुम हरियाली (के समय) में यात्रा करो तो धरती में से ऊँटों को उनका हिस्सा दो तथा जब तुम सुखाड़ (अथवा अकाल पड़े हुए देश) में यात्रा करो तो उस धरती से अति शीघ्र निकल जाओ"।[2]

नववी रह़िमहुल्लाह कहते हैं: "ह़दीस़ का अभिप्राय व उद्देश्य यह है कि: इसमें मवेशियों के साथ कोमल होने और उनके हितों और जरूरतों का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यदि वो हरियाली वाले समय में यात्रा करें तो कम से कम सवारी करें तथा इन पशुओं को दिन के कुछ भागों में एवं यात्रा के दौरान ज़मीन में चरने दें, ताकि वे जमीन पर चर कर अपना हिस्सा प्राप्त कर सकें, और यदि वे अकाल के समय यात्रा करें तो तीव्र गति से चलें, ताकि गंतव्य तक पहुंचने के बाद भी इन मवेशियों के अंदर ताकत और शक्ति बची रहे, रुक-रुक कर न चलें जिससे इन मवेशियों को हानि पहुँचे, क्योंकि यदि उन्हें चारा नहीं मिला तो वे दुर्बल हो जाएंगे"। समाप्त।

मवेशियों के प्रति इस्लाम के ध्यान और उपकार के प्रमाणों में से एक यह भी है कि उन्हें भूखा रखकर दंडित करने की सख्त मनाही की गई है, अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूचना दिया है कि एक महिला को अपनी बिल्ली (के कारण) दंडित किया जा रहा था। उसने उसे बांध दिया, न उसे कुछ खिलाया (पिलाया) और न ही उसे छोड़ा कि वह धरती के छोटे-मोटे जानदार पक्षी इत्यादि खा लेती।[3]

---

[1] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (3220) एवं मुस्लिम (1553) ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[2] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (1926) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

[3] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (3482) एवं मुस्लिम (2242) ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक ऊँट के पास से गुजरे जिसका पेट उसकी कमर से लग गया था (अर्थातः भूखे रहने कारण वह बिल्कु दुर्बल एवं पतला हो गया था) तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "इन बेज़ुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, इन पर सवारी करो तो अच्छे अंदाज़ में[1] तथा यदि इन्हें खाओ भी तो उत्तम ढंग से"।[2]

अब्दुल्लाह बिन जअफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक अंसारी स़हाबी के बाग़ में दाखिल हुए तो वहाँ एक ऊँट था। जब ऊँट ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा तो बिलबिलाया तथा उसकी आँखों से अश्रु धारा बहने लगी। नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके निकट आए तथा उसके कोहान एवं कान के पिछले भाग पर हाथ फेरा तो उसको शांति मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछाः "इस ऊँट का स्वामी कौन है? यह ऊँट किसका है?" एक नौजवान अंस़ारी आपके पास आया और कहाः हे अल्लाह के रसूल! यह मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "क्या तुम इस पशु के बारे में, जिसका स्वामी अल्लाह ने तुझे बनाया है, अल्लाह से नहीं डरता? क्योंकि इसने मुझसे शिकायत की है कि तू इसे भूखा रखता है और थका देता है"।[3]

इस्लाम में चौपायों का एक अधिकार यह भी है कि अकारण उन्हें भयभीत न किया जाये और न उन्हें मारा जाए, इस विषय में तीन ह़दीस़ें वर्णित हैं, एक तो उस चिड़िया का किस्सा है जिसके बच्चों को जब किसी स़हाबी ने पकड़ लिया तो वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

---

[1] अर्थात इस स्थिति में कि वो यात्रा का भार उठाने योग्य हों, वह इस प्रकार से कि ताकतवर एवं शक्तिशाली हों और यह तब होगा जब तुम ने उनकी अच्छी तरह से देखभाल की हो जिससे वो बोझ उठाने को योग्य हो गए हों। (खाओ भी तो उत्तम ढंग से) अर्थात इस दशा में कि वो खाने योग्य हो गए हों, वह इस प्रकार से कि तुम ने उनकी अच्छे ढंग से देखभाल की हो, और यह तब होगा जब तुमने उन को अच्छे ढंग से खिलाया पिलाया हो, अतः जब वो दुबले-पतले हों तो उन्हें मत खाओ। ह़दीस़ की शर्ह़ (व्याख्या) देखने के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन करें: अब्दुल मुह़सिन अब्बाद की "शर्हु सुनन अबी दावूद" तथा "अल-दुरर अल-सनिय्यह" वेबसाइट।

[2] इस ह़दीस़ को अबू दावूद (2548) ने सह्ल बिन अल-ह़न्ज़लिय्यह अल-अंस़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, और अलबानी रह़िमहुल्लाह ने इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

[3] इस ह़दीस़ को अह़मद (1/ 205) ने रिवायत किया है, तथा "अल-मुस्नद" के अन्वेषकों ने इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

से शिकायत करने लगी। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है किः “एक यात्रा में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शौच के लिए गए तो हमने एक चिड़िया देखी, उसके साथ दो बच्चे भी थे, हमने उसके दोनों बच्चे पकड़ लिए तो **चिड़िया आई और (बच्चों के आस-पास) मंडराने लगी**। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब आए तो फ़रमायाः किसने इसके बच्चों को परेशान किया है? इसके बच्चों को छोड़ दो”।

(एक दूसरे मौका पर) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा कि चींटियों के एक बड़े बिल को हमने जला दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछाः इसे किसने जलाया है? हमने कहाः हमने जलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “आग के रब के सिवा किसी के लिए उचित नहीं कि आग का दंड दे”।[1]

जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास से एक गधा गुजरा जिसके मुँह पर दागा गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः “जिसने इसे (मुँह पर) दागा है उस पर अल्लाह की लानत (धिक्कार) हो”।[2]

हिशाम बिन ज़ैद से वर्णित हैः मैं अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के संग ह़कम बिन अय्यूब के पास गया तो वहाँ कुछ लड़कों को देखा जो मुर्ग़ी को बांध कर निशाना लगा रहे थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह दृश्य देख कर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जीवित जानवर को बांध कर मारने से रोका है।[3]

---

[1] इस ह़दीस़ को अबू दावूद (2675) ने रिवायत किया है, तथा अलबानी ने इसे स़ह़ीह़ करार दिया है।

[2] इस ह़दीस़ को मुस्लिम (2117) ने रिवायत किया है।

[3] इस ह़दीस़ को बुख़ारी (5513) एवं मुस्लिम (1956) ने रिवायत किया है।

समापनः

इस्लामी शरीअत की विशेषताओं के बारे में चर्चा समाप्त हुई। सर्वोच्च अल्लाह इन विशेषताओं को समझने के लिए पाठकों के दिल और दिमाग खोल दे, और हमें उन लोगों में शामिल करे जो बात सुनने के पश्चात उत्तम बातों के अनुसार कर्म करते हैं, तथा अल्लाह तआला अपने फ़रिश्तों के मध्य हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रशंसा करे और आप पर अपनी शांति अवतरित करे तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के परिवार वालों और संतान पर।

- इस्लामी शरीअत की यह साठ से अधिक विशिष्ट विशेषताएं हैं, जो व्यक्ति इन्हें जान ले तथा समझ ले वह इस्लामी शरीअत में छिप्त अल्लाह की हिकमत (तत्वदर्शिता) से भी अवगत हो जायेगा और हमारे समय के पाखंडियों अर्थात धर्मनिरपेक्षता के वाहकों की पथभ्रष्टता से भी परिचित हो जाएगा जो इस्लाम एवं इसके अहकाम (धार्मिक प्रावधानों) पर कटाक्ष करते रहते हैं और यह दावा करते हैं कि यह एक पिछड़ा तथा रूढ़िवादी धर्म है। अल्लाह हमें उनके संदेह तथा मकड़जाल से बचाए।
- प्रिय पाठक! जो व्यक्ति इन विशेषताओं से अवगत हो जाए, वह बड़ी सहजता से यह अंदाजा लगा सकता है कि बड़ी संख्या में लोगों के इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने के पीछे क्या रहस्य है, विशेष रूप से उन देशों में जो भौतिक रूप से उन्नत हैं तथा अपने नवीन आविष्कारों एवं खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं। सच कहा है सर्वोच्च अल्लाह नेः

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

अनुवादः (हम शीघ्र ही दिखा देंगे उन को अपनी निशानियां संसार के किनारों में तथा स्वयं उनके भीतर, यहाँ तक कि खुल जायेगी उन के लिए यह बात कि यही सच है, और क्या यह बात पर्याप्त नहीं कि आप का पालनहार ही प्रत्येक वस्तु का साक्षी (गवाह) है)। सूरह फ़ुस्सिलतः 53।

- اللهم صل وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه.

लेखकः शैख़ माजिद बिन सुलैमान अल-रस्सी
20/12/1443 हिज्री
19/7/2022 ईस्वी
अनुवादकः
साबिर हुसैन पुत्र मुहम्मद मुजीबुर रहमान

विषय सूची